



अंदरूनी व्यापार निषेध संहिता

- कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता;
- अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील के लीक होने की स्थिति में जांच के लिए नीति और प्रक्रियाएं जानकारी;
- अप्रकाशित मूल्य के उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता और प्रक्रिया एंठ वैध उद्देश्य के निर्धारण के लिए संवेदनशील सूचना और नीति

संस्करण - R6

०६ नवंबर, २०२० से प्रभावी
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के अनुसार और जैसा कि इसके द्वारा अनुमोदित है
०६ नवंबर, २०२० को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल

पंजीकृत कार्यालय: पहली मंजिल, सी विंग, यूनिट १०३, कॉर्पोरेट एवेन्यू, अतुल प्रोजेक्ट्स,
चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३, महाराष्ट्र, भारत.
सीआईएन: एल१३२०९एमएच१९६५पीएलसी२९१३९४
वेबसाइट: www.vedantalimited.com

वेदांत लिमिटेड

कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता

पृष्ठभूमि

प्रतिभूति कानून का पालन करने और इसे संरक्षित करने के लिए अंदरूनी व्यापार को रोकना आवश्यक है वेदांत लिमिटेड (ठ कंपनी ठ) और संबद्ध सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और अखंडता इसके साथ। ठ अंदरूनी व्यापार तब हो सकता है। जब कोई व्यक्ति सदस्यता लेता है, खरीदता है, बेचता है, सौदा करता है, या अंदर के कब्जे में रहते हुए किसी भी प्रतिभूतियों और ट्रेडों में सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने, सौदा करने के लिए सहमत हैं कंपनी की प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी या सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि बाद में संहिता में बताया गया है, ठ अंदर की जानकारी सूचना है एक कंपनी से संबंधित है जो सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है या इसकी प्रतिभूतियां जो ह ठमूल्य संवेदनशील और ठ आम तौर पर उपलब्ध नहीं ठ दोनों के रूप में माना जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक है भारत में मौजूदा कानूनों के तहत दंडनीय अपराध। इनसाइडर ट्रेडिंग निषिद्ध है और इसका परिणाम हो सकता है की कंपनी के रोजगार से बर्खास्तगी सहित गंभीर प्रतिबंधों में संबंधित व्यक्ति।

यह कोड नामितों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का अनुपालन करने वाले व्यक्ति (अंदरूनी सूत्र का निषेध) ट्रेडिंग विनियम, २०१५, समय-समय पर संशोधित। संहिता निर्धारित है सुनिश्चित करें कि नामित व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करते हैं जब यूपीएसआई का कब्जा, और किसी भी सट्टा लेनदेन को रोकने के लिए, जाने-अनजाने, नामित व्यक्तियों।

कंपनी किसी भी प्रकार के इनसाइडर ट्रेडिंग या इसी तरह की गैरकानूनी सुरक्षा के प्रति सहनशीलता नहीं रखती है संबंधित व्यापार प्रथाओं।

संदर्भ

इस संहिता को निम्नलिखित के साथ संयोजन के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए:

- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम २०१५, समय-समय पर संशोधित;
- समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, २०१३ के लागू प्रावधान;
- कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता और

व्याख्या

इस नीति में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो निहित है सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ (सेबी पीआईटी विनियम) में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, १९९२, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, १९५६, डिपॉजिटरी अधिनियम, १९९६ या कंपनी अधिनियम, २०१३ और नियम और विनियम इसके तहत किया गया।

दायरा और प्रयोज्यता

यह संहिता सभी अंदरूनी सूत्रों पर लागू होती है। प्रत्येक अंदरूनी सूत्र को इस कोड की समीक्षा करनी चाहिए। प्रश्न इस संहिता के संबंध में अनुपालन अधिकारी को ईमेल आईडी पर निर्देशित किया जाना चाहिए compliance.officer@vedanta.co.in

परिभाषाएं

अंदरूनी सूत्रों में शामिल हैं:

१) नामित व्यक्तियों में शामिल हैं:

- a. प्रमोटर, निदेशक, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधनबी।
- b. होल्डिंग और सामग्री सहायक के निदेशक और केएमपीसी।
- c. समूह EXCO
- d. एसबीयू प्रमुख

- e. निदेशकों, केएमपी और समूह मैनेजर्स के ईए/पीए
- f. निम्नलिखित विभाग के कर्मचारी (मुंबई, गुडगांव, दिल्ली और लंदन कॉर्पोरेट कार्यालय) - जिन्हें यूपीएसआई के लिए गुप्त माना जाता है।
 - खजाना- एफपी एंड ए और वित्तीय रिपोर्टिंग टीम सहित कॉर्पोरेट वित्त
 - कर लगाना
 - मासो
 - व्यावसायिक संस्था का संचार तंत्र
 - कंपनी की रणनीति
 - निवेशक सम्बन्ध
 - व्यावसायिक
 - सचिवीय
 - कानूनी
 - एम एंड ए
 - आईटी और एचआरजी।
- g. सामग्री सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को उनकी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर नामित किया गया था उनके निदेशक मंडल द्वारा संगठन में यूपीएसआई तक पहुंच;
- h. समूह प्रबंधन समिति
- i. व्यवसाय प्रबंधन समिति
- j. समारोह
 - वित्त
 - व्यावसायिक
 - विपणन
 - कानूनी
 - नीति वकालत
 - औद्योगिक संचारक
- k. ऐसे अन्य व्यक्ति जो अनुपालन अधिकारी की राय में कब्जे में हैं यूपीएसआई का;
- l. जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, नामित व्यक्तियों के तत्काल संबंधी;

२) सेबी पीआईटी विनियमों में परिभाषित कनेक्टेड व्यक्ति;

३) कोई भी व्यक्ति जिसके पास यूपीएसआई है या उसकी पहुंच है;

४) कोई अन्य व्यक्ति जिसे इनसाइडर की परिभाषा के दायरे में शामिल किया जा सकता है: लागू सेबी विनियम और अमेरिकी प्रतिभूति कानून या जो की राय में कंपनी के अनुपालन अधिकारी को इनसाइडर की श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है;

निकटतम रिश्तेदार

निकटतम रिश्तेदार का अर्थ है किसी व्यक्ति का जीवनसाथी, और इसमें माता-पिता, भाई-बहन और ऐसे व्यक्ति या के बच्चे शामिल हैं पति या पत्नी, जिनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या परामर्श करता है प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसा व्यक्ति;

नोट : यदि पति या पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और लेते समय किसी अंदरूनी सूत्र से परामर्श नहीं करते हैं व्यापारिक निर्णय, पति या पत्नी को तत्काल की परिभाषा से छूट नहीं दी जाएगी रिश्तेदार। एक पति या पत्नी को तत्काल रिश्तेदार माना जाता है, जब तक कि ऐसा खंडन न किया जाए।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI)

का अर्थ है कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी जानकारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किआम तौर पर उपलब्ध नहीं होता है, जो आम तौर पर उपलब्ध होने पर होने की संभावना है प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करता है और सामान्यतया इसमें शामिल है लेकिन नहीं निम्नलिखित से संबंधित सूचना तक सीमित:-

वित्तीय परिणाम;

लाभांश; पूंजी संरचना में परिवर्तन; विलय, डी-विलय, अधिग्रहण, डीलिटिंग, निपटान और विस्तारव्यापार और ऐसे अन्य लेनदेन;

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में परिवर्तन;

कोई अन्य घटना जो कंपनी/अनुपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती है जो कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है

व्यापार: इसका मतलब है और सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना, या सदस्यता लेने के लिए सहमत होना, खरीदना, कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को बेचना, सौदा करना या गिरवी



व्यापार

इसका मतलब है और सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना, या सदस्यता लेने के लिए सहमत होना, खरीदना, कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को बेचना, सौदा करना या गिरवी रखना और ठव्यापार का अर्थ लगाया जाएगा इसलिए;



इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है?

इनसाइडर ट्रेडिंग मुख्य रूप से किसके लाभ के साथ प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग का कार्य है? यूपीएसआई के लिए असममित पहुंच, जो प्रकाशित होने पर, की कीमत को प्रभावित करेगा बाजार में प्रतिभूतियों

सेबी विनियमों के तहत 'ट्रेडिंग' की परिभाषा व्यापक है, और इसमें शामिल हैं, अन्य बातों के अलावा, सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना, या इनमें से कोई भी करने के लिए सहमत होना वो वस्तुएं। इसके अलावा, कंपनी की प्रतिभूतियों को गिरवी रखना, जबकि का कब्जा है यूपीएसआई, 'ट्रेडिंग' के रूप में माना जाएगा

आमतौर पर यह समझा जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

अंदरूनी सूत्रों/कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों और उनके संबंधित तत्काल द्वारा व्यापार रिश्तेदार, यूपीएसआई के कब्जे में, या उस तक पहुंच होने के बावजूद, चाहे कोई भी होऐसी जानकारी के कब्जे में आया था या उसकी पहुंच थी; या

अन्य लोगों के लिए यूपीएसआई को संचार करना, प्रदान करना, पहुंच की अनुमति देना या टिपिंग करना, जिसमें शामिल हैं कंपनी के प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार की सिफारिश करते हुए, या ऐसी जानकारी तक पहुंच होना

इनसाइडर्स की ओर से पोर्टफोलियो मैनेजर्स द्वारा ट्रेडिंग को भी इनसाइडर माना जाता है ट्रेडिंग और इसलिए नामित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस दौरान उचित सावधानी बरतें द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से प्रतिभूतियों में व्यापार

अंदरूनी सूत्रों के पास उनकी कंपनी और उसके शेयरधारकों के लिए स्वतंत्र प्रत्ययी कर्तव्य नहीं हैं कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित यूपीएसआई पर व्यापार करने के लिए। के सभी निदेशक और कर्मचारी कंपनी को यूपीएसआई के संबंध में खुद को अंदरूनी सूत्र समझना चाहिए:

व्यापार, गतिविधियों और प्रतिभूतियों। निदेशक और कर्मचारी न तो व्यापार करेंगे कंपनी से संबंधित यूपीएसआई के कब्जे में रहते हुए कंपनी की प्रतिभूतियां और न ही टिप (न ही) आगे बढ़ने के लिए जरूरत-से-जानने के आधार को छोड़कर संचार, प्रदान या पहुंच की अनुमति दें वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों का प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों का निर्वहन) जैसे दूसरों को जानकारी

जब किसी व्यक्ति ने यूपीएसआई के कब्जे में रहते हुए प्रतिभूतियों में व्यापार किया है, तो उसके व्यापार में के %ान और जागरूकता से प्रेरित माना गया है कि जानकारी उसके कब्जे में है।



नीति के गैर-अनुपालन के परिणाम

इस संहिता का पालन करने में विफलता एक अनुशासनात्मक मुद्दा है और इसका गठन भी हो सकता है कुछ मामलों में आपराधिक अपराध। कोई भी कर्मचारी जिसमें उनके तत्काल संबंधी शामिल हैं

जो इस संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह इसके लिए उत्तरदायी होगादण्ड/अनुशासनात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई जैसा कि 'अंदरूनी सूत्र' द्वारा उचित समझा जा सकता हैव्यापार निगरानी समिति (आईटीएमसी)' ने मंजूरी ढांचे के अनुसार निर्णय लिया औरआईटीएमसी द्वारा अनुमोदित। समिति द्वारा की गई कार्रवाई के साथ इस संहिता के सभी उल्लंघनवर्ग-नपनी की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को सूचित किया जाएगा:

तिमाही आधार पर। कंपनी की उपरोक्त कार्रवाइयां किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई जो नियामक प्राधिकरण ऐसे कर्मचारी के खिलाफ शुरू कर सकते हैं



सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा दंड

यदि कोई इनसाइडर इनसाइडर ट्रेडिंग कोड / सेबी के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हैविनियम, ऐसे अंदरूनी सूत्र के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे सेबी अधिनियम, १९९२ के प्रावधान। सेबी अधिनियम, १९९२ के तहत न्यूनतम जुर्माना हैरु. १० लाख, जो रु. ट्रेडिंग से हुआ २५ करोड़ या ३ गुना मुनाफा, जो कोई उच्चतर हो

विभिन्न प्रक्रियाएं जो वेदांत लिमिटेड द्वारा इनसाइडर को रोकने के लिए रखी गई हैं व्यापार

निम्नलिखित प्रक्रियाओं को स्थापित किया गया है, और बनाए रखा और लागू किया जाएगा, द्वाराकंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। प्रत्येक मनोनीत कर्मचारी को अनुसरण करना आवश्यक हैये प्रक्रियाएं:-



यूपीएसआई तक पहुंच पर प्रतिबंध

सूचना तक पहुंच: यूपीएसआई के साथ काम करते समय, कंपनी के कारोबार के संबंध में, कमाईया संभावनाएं, पूंजी जुटाने, आदि, कंपनी/अनुपालन अधिकारी सुनिश्चित करेगाकि यूपीएसआई का कोई भी प्रकटीकरण केवल जानने की आवश्यकता के आधार पर होगा और वह नहींवैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अलावा, यूपीएसआई का संचार होता है, कर्तव्यों का प्रदर्शन या कानूनी दायित्व का निर्वहन;

मनोनीत व्यक्ति यूपीएसआई के साथ उचित देखभाल करने के लिए बाध्य हैं और उनका कर्तव्य है कि यूपीएसआई की प्राप्ति के स्रोत की परवाह किए बिना यूपीएसआई की सुरक्षा करें। नामित व्यक्तियूपीएसआई का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए करें न कि किसी व्यक्तिगत लाभ/किसी से बचने के लिएलागू कानून का नुकसान/उल्लंघन।

तृतीय पक्षों से पूछताछतीसरे पक्ष से पूछताछ, जैसे विश्लेषकों या मीडिया के सदस्यों, के बारे मेंकंपनी को आंतरिक नीति के अनुसार निर्देशित/संभालना चाहिए।



यूपीएसआई तक पहुंच की सीमाएं

यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं:

मनोनीत व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक सभी कदम और और सावधानियां बरतनी चाहिएअन्य बातों के अलावा, यूपीएसआई तक पहुंच और सुरक्षति: -

ए) यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखना;

बी) अपने व्यवसाय/पेशे और व्यक्तिगत/सामाजिक गतिविधियों का संचालनताकि यूपीएसआई के अनजाने प्रकटीकरण का जोखिम न हो;

ग) सार्वजनिक स्थानों पर गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा प्रतिबंधित होनी चाहिएताकि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा यूपीएसआई तक पहुंच को रोका जा सके।

यूपीएसआई युक्त दस्तावेजों और फाइलों (कंप्यूटर फाइलों सहित) तक पहुंच को प्रतिबंधित करना जानने की आवश्यकता के आधार पर व्यक्तियों के लिए (इस पर नियंत्रण बनाए रखने सहित) दस्तावेजों का वितरण और दस्तावेजों के मसौदे);

यूपीएसआई युक्त फाइलों को प्रतिबंधित पहुंच और कंप्यूटर के साथ सुरक्षित रखा जाएगा यूपीएसआई वाली फाइलों को लॉगिन, पासवर्ड आदि की मदद से सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त भौतिक और सूचनात्मक अवरोध लगाए जाएंगे यूपीएसआई की गोपनीयता;

सभी गोपनीय दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को तुरंत हटाना और साफ करना किसी भी बैठक के समापन के बाद सम्मेलन कक्षों से यूपीएसआई युक्त;

सभी गोपनीय दस्तावेजों और यूपीएसआई युक्त अन्य कागजात का निपटान, बाद में श्रेडर के माध्यम से अब कोई व्यवसाय या अन्य कानूनी रूप से आवश्यक आवश्यकता नहीं है जब उपयुक्त हो;

गोपनीय दस्तावेजों या यूपीएसआई वाले क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना;

तथा उन जगहों पर यूपीएसआई से संबंधित किसी भी चर्चा से बचना जहां जानकारी हो सकती है दूसरों द्वारा सुना जाना, जैसे कि लिफ्ट, टॉयलेट, हॉलवे, रेस्तरां, हवाई जहाज या टैक्सी कैब, आदि;

जिन व्यक्तियों के पास संभव सीमा तक यूपीएसआई है, या जो उस तक पहुंच रखते हैं, उन्हें चाहिए अन्य कंपनी से अलग क्षेत्रों में अपने व्यवसाय और अन्य गतिविधियों का संचालन करें गतिविधियों, ताकि यूपीएसआई के किसी भी रिसाव से बचा जा सके



चीनी दीवारों की प्रक्रिया

संहिता के संदर्भ में, नामित व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के रूप में माना जाता है जिनके पास पहुंच है या यूपीएसआई तक पहुंच की उम्मीद है

यूपीएसआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए, कंपनी ठीकी दीवारों को बनाए रखेगी और परिसर को अंदर के क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अलग करे। अंदर के क्षेत्रों का संदर्भ कंपनी के वे क्षेत्र और विभाग जिनमें यूपीएसआई सामान्यतः हो सकता है उपलब्ध। सार्वजनिक क्षेत्र उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जहां कोई भी यूपीएसआई सामान्य रूप से नहीं होगा उपलब्ध है, और जिसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है

अंदर के क्षेत्र सामान्य रूप से केवल नामित व्यक्तियों के लिए ही सुलभ होंगे। अंदर के क्षेत्र में नामित व्यक्ति किसी भी यूपीएसआई को किसी से भी संवाद नहीं करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। इसके अलावा, जो कर्मचारी नामित व्यक्ति हैं उन्हें शारीरिक रूप से होना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों से अलग। असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रों से ठीकी दीवार के ऊपर लाया जा सकता है और गोपनीय दिया जा सकता है को सूचना के तहत ठीकी जानने की आवश्यकता का मानदंड के आधार पर सूचना अनुपालन अधिकारी।

जहां कहीं भी किसी नामित व्यक्ति द्वारा यूपीएसआई साझा करने की आवश्यकता होती है अन्य कर्मचारी/बाहरी तृतीय पक्ष, आदि, वैध को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्यों, कर्तव्यों का प्रदर्शन या अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन, जिस व्यक्ति को इस तरह की जानकारी साझा करने का प्रस्ताव है, उसे ठीकी दीवार-पार किया जाएगा नीचे दी गई वॉल-क्रॉसिंग प्रक्रिया के माध्यम से।

दीवार पार करने की प्रक्रिया

ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को दीवार पार करना आवश्यक हो, अर्थात उसे ऊपर लाया जाए एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए यूपीएसआई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए चीनी दीवार, पूर्वअनुपालन अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। अनुपालन अधिकारी विचार करें कि क्या दीवार पार करने वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर यूपीएसआई प्रदान किया जा रहा है-से - जानने के आधार पर। इसके अलावा, ऐसी वॉल-क्रॉसर के साथ साझा किए गए यूपीएसआई को सीमित किया जाना चाहिए विशिष्ट लेनदेन या उद्देश्य के लिए जिसके लिए ऐसे व्यक्ति की सहायता आवश्यक है

जो लोग दीवार पार कर चुके हैं / यूपीएसआई प्राप्त करते हैं उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि वे करेंगे इस संहिता के तहत 'नामित व्यक्ति' और 'अंदरूनी सूत्र' समझा जाएगा और परिणाम स्वरूप, ऐसे व्यक्तियों को सभी लागू का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी संहिता और सेबी विनियमों के प्रावधान, जब तक कि ऐसी जानकारी यूपीएसआई न हो

सभी वाल क्रॉसिंग का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके अलावा, अनुपालन अधिकारी को उन सभी मामलों के बारे में सूचित किया जाएगा जिसमें एक व्यक्ति किया गया है दीवार को पार करना (ऐसी दीवार - क्रॉसिंग के समय), प्रक्रिया के अनुसार ऊपर निर्धारित किया गया है, ताकि अनुपालन अधिकारी को उपयुक्त बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सके इस संबंध में रिकॉर्ड

यूपीएसआई के प्राप्तकर्ता को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की सूचना

यूपीएसआई के किसी भी प्राप्तकर्ता को 'नामित व्यक्ति' और 'अंदरूनी' माना जाएगा इस संहिता के उद्देश्य। तदनुसार, ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित के लिए करार निष्पादित करेंगे: गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों को पूरा करना; (बी) जानकारी इतनी रखें गोपनीय प्राप्त किया; (सी) केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए यूपीएसआई का उपयोग करें; और (डी) अन्यथा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करते हैं, या होने पर यूपीएसआई तक पहुंच

यूपीएसआई के प्राप्तकर्ता का डिजिटल डेटाबेस

सेबी विनियमों के विनियम ३(२) के तहत आवश्यकतानुसार, अनुपालन अधिकारी, जैसा कि हो सकता है बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाएगा, ऐसे का एक संरचित डिजिटल डेटाबेस बनाए रखेगा व्यक्ति या संस्थाएं, जैसा भी मामला हो, जिनके साथ ळइए साझा किया जाता है, साथ में प्राप्तकर्ताओं से संबंधित निम्नलिखित जानकारी; यूपीएसआई के ऐसे प्राप्तकर्ता का नाम; उस संगठन या संस्था का नाम जिसका प्राप्तकर्ता प्रतिनिधित्व करता है ऐसे प्राप्तकर्ता का डाक पता और ई-मेल आईडी

स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता, यदि पैन उपलब्ध नहीं है

ऐसे डेटाबेस को सेबी के नियमों के अनुसार समय-समय पर बनाए रखा जाएगा समय-समय पर, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और समय की मोहर लगाने जैसी जाँचों सहित और ऐसे डेटाबेस से छेड़छाड़ न करना सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट ट्रायल

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए इनसाइडर को रोकने के लिए इस कोड और सेबी विनियमों में दी गई आवश्यकताओं के साथ व्यापार। आंतरिक नियंत्रण में शामिल होंगे: - ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिनके पास यूपीएसआई तक पहुंच है, या जिनके पास यूपीएसआई तक पहुंच होने की उम्मीद है, जैसे ना-मत व्यक्ति; ळइए की पहचान करना और लागू होने पर आवश्यकतानुसार इसकी गोपनीयता बनाए रखना कानून; संचार, या यूपीएसआई की खरीद पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाना;

उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाए रखना जिनके साथ ळइए साझा किया गया है और उन्हें जागरूक करनासंहिता के तहत उनकी गोपनीयता और अन्य दायित्वों की;उनके मूल्यांकन के लिए लागू किए गए उपायों और आंतरिक नियंत्रणों की समय-समय पर समीक्षा करें प्रभावशीलता

ट्रेडिंग योजना

एक अंदरूनी सूत्र सेबी के अनुपालन में एक ट्रेडिंग योजना तैयार करने का हकदार होगाकंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए विनियम और इसे अनुपालन के समक्ष प्रस्तुत करनाअनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अधिकारी जिसके अनुसार व्यापार किया जा सकता है अनुबंध हैं में ऐसी योजना के अनुसार उसकी ओर से

नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी

लागू सेबी के अनजाने उल्लंघनों को रोकने में सहायता प्रदान करने के लिएविनियम और अमेरिकी प्रतिभूति कानून और में अनौचित्य की उपस्थिति से बचने के लिएकंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के संबंध में, में कोई भी लेनदेनकंपनी की प्रतिभूतियां (बिना किसी सीमा के, अधिग्रहण और निपटान सहित)कंपनी की प्रतिभूतियां) नामित व्यक्तियों द्वारा पूर्व-मंजूरी दी जानी चाहिए

स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) के मामले में, विकल्पों के प्रयोग की अनुमति बिना पूर्व-निकासी हालांकि, स्टॉक विकल्पों के प्रयोग पर आवंटित शेयरों की बिक्रीपूर्व मंजूरी की आवश्यकता है पूर्व-मंजूरी को निम्नानुसार अनुमोदित और प्राप्त करने की आवश्यकता है:

- सभी पूर्व-मंजूरी अनुपालन अधिकारी को लागू करने की आवश्यकता है;
- पूर्व-मंजूरी को समूह सीएफओ और अनुपालन द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया जाएगा कंपनी के अधिकारी

नामित व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार प्राप्त करने के बाद ही व्यापार कर सकते हैं अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित लेनदेन की पूर्व-मंजूरीअनुलग्नक ६ के अनुसार एक आवेदन जमा करना और यह घोषित करना कि वे इसमें नहीं हैंकिसी भी मूल्य संवेदनशील जानकारी का अधिकार

इस संहिता और/या मौखिक के तहत नामित व्यक्तियों से कोई मौखिक अनुरोधकंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए पुष्टि स्वीकार्य नहीं है और करेगाकी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए वैध अनुरोध या अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए-कंपनी

अनुमोदन/अस्वीकृति की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से दी जाएगी अगर एक अनुरोधव्यापार से इनकार कर दिया है, अनुपालन अधिकारी का एक लिखित बयान प्रदान करेगा कारण, जहाँ तक संभव हो, उसकी सहमति को रोकने के लिए

जब तक संबंधित नामित व्यक्ति को से औपचारिक संचार प्राप्त नहीं होता है अनुपालन अधिकारी व्यापार को मंजूरी दे रहा है, कोई अनुमोदन नहीं माना जाएगा दी गई है और नामित व्यक्ति की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं कर सकता है कंपनी

अनुमति प्रदान करते समय, अनुपालन अधिकारी कुछ शर्तें लगा सकता हैया प्रतिबंध, जैसा आवश्यक हो सकता है। अनुपालन अधिकारी को भी ध्यान रखना होगापूर्व के लिए आवेदन करने वाले नामित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई कोई घोषणानिकासी यथोचित रूप से गलत के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है

साथ ही, मनोनीत व्यक्ति केवल उतनी ही प्रतिभूतियों का व्यापार कर सकता है जिसके लिएअनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यापार जो से अधिक है

प्रतिभूतियों की संख्या जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है या जो एक प्रकार का है जो स्वीकृत किया गया है, उससे भिन्न, अनुमेय नहीं है। उसी की आवश्यकता होगी संहिता में प्रदान की गई नई स्वीकृति

उदाहरण के तौर पर, यदि कर्मचारी ठाठ को १०० . खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है शेयर, फिर संहिता की अन्य शर्तों के अधीन, ठाठ १०० शेयर तक खरीद सकता है लेकिन शेयरों की कोई बिक्री नहीं कर सकता। साथ ही, ठाठ के लिए अनुमोदन नहीं होगा किसी अन्य कर्मचारी ठाठ के लिए अनुमोदन के रूप में माना जाता है, जब तक कि प्रक्रिया के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है कोड के बाद ठाठ है

पूर्व-मंजूरी एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद, ७ कारोबारी दिनों की अवधि के लिए वैध होगी अनुमोदन की तिथि। लेन-देन एकल / एकाधिक किशतों में निष्पादित किए जाएंगे के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है;

मनोनीत व्यक्ति निष्पादन के २ (दो) कार्य दिवसों के भीतर फाइल करेगा इस तरह के सौदे का विवरण, अनुपालन अधिकारी के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रति अनुलग्नक छ ;

यदि अनुमोदन दिए जाने के बाद ७ कारोबारी दिनों के भीतर आदेश निष्पादित नहीं किया जाता है, तोनामित व्यक्ति को लेनदेन को फिर से पूर्व-समाप्त करना होगा। मनोनीत व्यक्ति अनुपालन अधिकारी को प्रारूप के अनुसार कारण प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी अनुबंध छ में प्रदान किया गया है , यदि कोई ट्रेड निष्पादित नहीं किया जाता है या निष्पादित किए गए ट्रेड हैं जिस मात्रा के लिए अनुमोदन मांगा गया था, उससे कम मात्रा के लिए

मनोनीत व्यक्ति विपरीत लेन-देन में प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात् बेचना या खरीदना पूर्व के बाद अगले ६ (छह) महीनों के दौरान कितनी भी प्रतिभूतियाँ लेन - बशर्ते कि यह निम्नलिखित के अनुसार ट्रेडों के लिए लागू नहीं होगा स्टॉक विकल्पों का अभ्यास;

कॉन्ट्रा ट्रेड का प्रतिबंध सदस्यता के संबंध में लागू नहीं होगा अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) में शेयर/परिवर्तनीय; बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस); अधिकारओपन ऑफर में शेयरों का निर्गम या टेंडरिंग; शेयर बाय-बैक या डीलिलिस्टिंग ऑफर, बाहर निकलें ऑफर आदि। कॉन्ट्रा ट्रेड का प्रतिबंध किए गए ट्रेडों पर भी लागू नहीं होगा एक व्यापार योजना के अनुसार अनुमोदित किया जा सकता है;

अनुपालन अधिकारी इस तरह के सख्त आवेदन से छूट दे सकता है संबंधित नामित द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर प्रतिबंध व्यक्ति और इस संबंध में कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद; बशर्ते कि ऐसा छूट सेबी विनियमों का उल्लंघन नहीं करती है

यदि अनजाने में या अन्यथा, उल्लंघन में एक अनुबंध व्यापार निष्पादित किया जाता है पूर्वोक्त प्रतिबंध, इस तरह के व्यापार से होने वाले लाभ के लिए असंबद्ध होने के लिए उत्तरदायी होगा निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में क्रेडिट के लिए सेबी को प्रेषण अधिनियम के तहत सेबी द्वारा प्रशासित;

नामित व्यक्ति व्युत्पन्न लेनदेनों में भी स्थान नहीं लेगा किसी भी समय कंपनी की प्रतिभूतियां .;

मामले में कंपनी के अनुपालन अधिकारी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने का इरादा है कंपनी, वह इनसाइडर ट्रेडिंग से व्यापार की पूर्व-मंजूरी मांगेगा कंपनी की निगरानी समिति (आईटीएमसी)। संहिता के अन्य सभी प्रावधान अनुपालन अधिकारी द्वारा लेनदेन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन लागू होते हैं;

 ट्रेडिंग विंडो

कंपनी एक ट्रेडिंग अवधि निर्दिष्ट करेगी, जिसे ठट्रेडिंग विंडो कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार। कोई भी नामित व्यक्ति किसी में व्यापार नहीं करेगा ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियां;

ट्रेडिंग विंडो प्रत्येक तिमाही के अंत से बाद में ४८ . तक बंद नहीं होगी वित्तीय परिणामों की घोषणा के कुछ घंटे बाद। के प्रारंभ होने का समय ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का निर्णय अनुपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। एलएलएन बनने के ४८ घंटे से पहले ट्रेडिंग विंडो नहीं खोली जाएगी सह लोक;

इसके अतिरिक्त, अनुपालन अधिकारी के प्रारंभ के लिए समय निर्दिष्ट कर सकता है के समय ट्रेडिंग विंडो बंद करना:

- लाभांश की घोषणा (अंतरिम और अंतिम);
- जनता/अधिकार/बोनस निर्गम आदि के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करना;
- कोई बड़ी विस्तार योजना या नई परियोजनाओं का निष्पादन;
- समामेलन, विलय, अधिग्रहण और वापस खरीद;
- पूरे या काफी हद तक पूरे उपक्रम का निपटान;
- कंपनी की नीतियों, योजनाओं या संचालन में कोई परिवर्तन;

इसके अलावा कोई अन्य अवधि जिसे अनुपालन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है अधिकारी को भी बंद अवधि के रूप में माना जाएगा

सभी मनोनीत व्यक्ति अपनी सभी प्रतिभूतियों में व्यापार करेंगे कंपनी केवल पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और एक वैध ट्रेडिंग विंडो में और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से जुड़े किसी भी लेनदेन में व्यापार नहीं करेगा कंपनी की उस अवधि के दौरान जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो, या किसी के दौरान अन्य अवधि जैसा कि कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

जब ट्रेडिंग विंडो खुली होती है, तो नामित व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी व्यापार के अधीन होगा अनुपालन अधिकारी द्वारा पूर्व-मंजूरी।

 विविध

लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा वित्तीय परिणामों की मंजूरी के बीच का अंतर ऐसे वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिए बैठक यथासंभव संकीर्ण होनी चाहिए और अधिमानतः उसी दिन यूपीएसआई के रिसाव से बचने के लिए;

यदि इस संहिता के कोई प्रावधान इसके विपरीत या असंगत हैं सेबी विनियमों के तहत प्रावधान, सेबी विनियमों के प्रावधान: प्रचलित होना।

 अंदरूनी व्यापार निगरानी समिति

अंदरूनी व्यापार निगरानी समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

- समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
- कंपनी सचिव (सीएस)

समूह का मुख्य वित्तीय अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा और कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

अंदरूनी व्यापार निगरानी समिति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- संहिता का समग्र प्रशासन;
- वास्तविक/या संदिग्ध लीक के मामले में पूछताछ/जांच करनायूपीएसआई, और संहिता के अन्य उल्लंघन;
- अनुपालन में चूक करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाना कोड;
- रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन;
- समिति, उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकती है/ऐसे किसी भी उल्लंघन और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सिक्वोरिटीज को करने का निर्णय लें और भारतीय विनियम बोर्ड। कंपनी की उपरोक्त कार्रवाई बिना होगी किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह जो नियामक प्राधिकरण कर सकते हैं/ऐसे कर्मचारी के खिलाफ पहल करें;
- मनोनीत व्यक्तियों और अन्य की सूची तय करना और अंतिम रूप देना, जो समय-समय पर इस संहिता द्वारा कवर किया जाना चाहिए;
- समिति उपरोक्त सभी या इनमें से किसी को भी अनुपालन के लिए प्रत्यायोजित कर सकती है कंपनी के अधिकारी।

अनुपालन अधिकारी और रिपोर्टिंग तंत्र के कर्तव्य

अनुपालन अधिकारी, बोर्ड की देखरेख में और समिति, नीतियों, प्रक्रियाओं, रखरखाव के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी रिकॉर्ड, यूपीएसआई के संरक्षण के लिए नियमों के पालन की निगरानी, संहिता के अनुसार ट्रेडों की निगरानी और संहिता के कार्यान्वयन, बनाए बनाए रखना नामित व्यक्तियों (और उनके निकट संबंधी) के रिकॉर्ड और कोई भी परिवर्तन नामित व्यक्तियों (और उनके निकट संबंधी) की सूची में बनाया गया है और सेबी विनियमों और के संबंध में मांगे गए मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण प्रदान करना कोड;

अनुपालन अधिकारी ऐसी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और विशेष रूप से, द्वारा ट्रेडिंग के संबंध में रिपोर्ट सहित बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति नामित व्यक्तियों, हर तिमाही, उन्हें अनुपालन की समीक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए इस संहिता और सेबी विनियमों के प्रावधान और यह सत्यापित करने के लिए कि सिस्टम आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं;

अनुपालन अधिकारी सभी घोषणाओं / प्रकटीकरणों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा नामित व्यक्तियों द्वारा कम से कम पांच साल की अवधि के लिए दिया जाता है।

अनुपालन अधिकारी को आवश्यक प्रकटीकरण करने के लिए अधिकृत किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों के अनुपालन में सेबी विनियम।

अनुपालन अधिकारी यूपीएसआई का एक समान और सार्वभौमिक प्रसार सुनिश्चित करेगा चयनात्मक प्रकटीकरण से बचें

किसी भी व्यापार को मंजूरी देने से पहले, अनुपालन अधिकारी तलाश करने का हकदार होगा इस आशय की घोषणा कि पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदक का कब्जा नहीं है/किसी भी यूपीएसआई की उसे इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि क्या ऐसी कोई घोषणा है? यथोचित रूप से गलत होने में सक्षम।

अनुपालन अधिकारी अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि में निर्धारित है संहिता या सेबी विनियम।

ऐसे अन्य कर्तव्य जो इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग द्वारा प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं समय-समय पर समिति

प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

 प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह, निदेशकों, केएमपी, वरिष्ठ . द्वारा प्रारंभिक प्रकटीकरण प्रबंधन और नामित व्यक्ति

कंपनी के प्रत्येक प्रमोटर/प्रमोटर समूह, निदेशक, केएमपी खुलासा करेंगे अनुबंध छ में दिए गए विवरण के अनुसार फॉर्म ए में कंपनी में उनकी प्रतिभूतियों की धारिता ०१ अप्रैल २०१९ से ३० दिनों के भीतर;

केएमपी, वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक के रूप में नियुक्ति पर प्रत्येक व्यक्ति कंपनी या प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का सदस्य बनने पर नियुक्ति या प्रमोटर या प्रमोटर का सदस्य बनने के ७ दिनों के भीतर समूह अनुपालन के लिए कंपनी में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण का खुलासा करता है अनुलग्नक छ में दिए गए विवरण के अनुसार प्रपत्र में अधिकारी ;

नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में सभी होल्डिंग्स होने पर अनुबंध ६ में वर्णित अनुसार ७ दिनों के भीतर एक नामित व्यक्ति के रूप में पहचाना गया

 प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों, निदेशकों और . द्वारा निरंतर प्रकटीकरणमनोनीत व्यक्ति

प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, निदेशक और नामित व्यक्ति लेन-देन के दो कारोबारी दिनों के भीतर कंपनी को की संख्या का खुलासा करें प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या निपटान, यदि प्रतिभूतियों का मूल्य कारोबार होता है, चाहे मेक्सि भी कैलेंडर तिमाही में एक लेन-देन या लेन-देन की एक श्रृंखला, को एकत्रित करता है ₹ १० लाख से अधिक का एक व्यापारिक मूल्य या ऐसा अन्य मूल्य जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है अनुबंध ८ में दिए गए विवरण के अनुसार फॉर्म सी में अनुपालन अधिकारी ;

कंपनी दो ट्रेडिंग के भीतर प्राप्त फॉर्म सी के विवरण को सूचित करेगी प्रकटीकरण की प्राप्ति के दिन या लेन-देन के बारे में जागरूक होने से स्टॉक एक्सचेंजों;

 नामित व्यक्तियों द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण

अनुबंध ८ में नीचे दिए गए व्यौरों को शामिल करते हुए उसका वार्षिक प्रकटीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ३० दिनों की अवधि:

क) तत्काल रिश्तेदारों और व्यक्तियों के नाम जिनके साथ ऐसे पदाभिहित किए गए हैं व्यक्ति (व्यक्तियों) एक भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है ;

बी) पैन या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता (ए)

ग) (ए) में उल्लिखित व्यक्तियों के फोन, मोबाइल नंबर

नोट: ठ भौतिक वित्तीय संबंध ठ का अर्थ रिश्ते के रूप में संबंध होगा जो एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है जैसे ऋण या उपहार के माध्यम से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान, ऐसे के कम से कम २५% के बराबर भुगतानकर्ता की वार्षिक आय लेकिन उन संबंधों को शामिल नहीं करेगा जिनमें भुगतान आधारित है हाथ की लंबाई का लेनदेन। ”

नामित व्यक्तियों द्वारा एकमुश्त प्रकटीकरण

जिन शिक्षण संस्थानों से नामित किया गया है, उनके नामों का एकमुश्त प्रकटीकरण व्यक्तियों ने अनुबंध ऋ में अध्ययन किया है और उनके पिछले नियोक्ताओं के नाम

जुड़े व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

अनुपालन अधिकारी अपने विवेक से किसी अन्य अंदरूनी सूत्र को बनाने की आवश्यकता कर सकता है। इस तरह के रूप में कंपनी की प्रतिभूतियों में होल्डिंग्स और ट्रेडिंग का खुलासा और ऐसी आवृत्ति पर जिसे अनुपालन की निगरानी के लिए आवश्यक समझा जा सकता है इन सेबी विनियमों के साथ प्रपत्र डी में जैसा कि अनुलग्नक ऋ में वर्णित है

अनुपालन अधिकारी समय-समय पर निम्नलिखित के प्रारूपों की समीक्षा और संशोधन कर सकता है प्रकटीकरण प्रस्तुत करना, जैसा उपयुक्त हो सकता है .

जम्मेदारी

यह प्रत्येक अंदरूनी सूत्र की जम्मेदारी है कि जिस पर संहिता लागू हो, उसका पालन करें और संहिता के प्रावधानों का पालन करें। जब संदेह हो, तो अंदरूनी सूत्र सहायता मांग सकते हैं संहिता या अन्य संबंधित प्रावधानों के किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी लागू नियम

प्रतिशोध और उत्पीड़न के खिलाफ कर्मचारियों की सुरक्षा

यूपीएसआई के लीक होने या इस संहिता के उल्लंघन के किसी भी संदेहास्पद उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट किया जा सकता है व्हिसल ब्लोअर तंत्र। इस नीति के तहत संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिशोध सख्त वर्जित है कर्मचारी जो इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनों के किसी भी कथित उल्लंघन की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट करते हैं सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (तीसरा) के माध्यम से मुखबिर तंत्र की शुरुआत की गई संशोधन) विनियम, २०१९ दिनांक १७ सितंबर, २०१९, के विरुद्ध संरक्षित किया जाएगा कोई भी निर्वहन, समाप्ति, पदावनति, निलंबन, धमकी, उत्पीड़न, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से या भेदभाव

नीति की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को संशोधन, संशोधन करने का अधिकार होगा, इन नियमों की व्याख्या करें और ऐसे नियम ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो बोर्ड कर सकता है इस संबंध में सूचित करें

कानून में संशोधन

सेबी विनियमों और अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों में बाद में कोई संशोधन/संशोधन, कंपनी अधिनियम, २०१३ और/या सूचीकरण विनियम और/या इसमें अन्य लागू कानूनसंबंध स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होंगे

अस्वीकरण

यह नीति केवल आंतरिक आचार संहिता है और इससे बचने के उपायों में से एक है इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रत्येक अंदरूनी सूत्र को सेबी के साथ खुद को परिचित करने की आवश्यकता है विनियमों के रूप में यह प्रत्येक अंदरूनी सूत्र (और उसके रिश्तेदारों) की जम्मेदारी होगी इस संहिता, सेबी विनियमन और अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अन्य संबंधित कानून पूरी तरह से।

यूपीएसआई के लीक होने की स्थिति में पूछताछ की प्रक्रिया के लिए नीति



पृष्ठभूमि

सेबी विनियम, विनियम ९ए(५) के संदर्भ में, बोर्ड को नीतियां बनाने की आवश्यकता है और यूपीएसआई के लीक/संदिग्ध रिसाव के मामले में जांच के लिए प्रक्रियाएं

यूपीएसआई के किसी भी वास्तविक या संदिग्ध रिसाव की किसी भी जांच को तथ्यों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है और ऐसे प्रत्येक उदाहरण की परिस्थितियाँ। यह देखते हुए कि एक प्रदान करना संभव नहीं है ऐसे प्रत्येक उदाहरण की जांच करते समय लागू मानक संचालन प्रक्रिया यूपीएसआई के लीक/संदिग्ध लीक होने पर, यह नीति उन व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करती है जो बोर्ड करेगा यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव के मामलों की जांच करते समय पालन करें।



उद्देश्य

यूपीएसआई के रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना;
अनधिकृत के साथ यूपीएसआई को साझा करने की प्रथा को प्रतिबंधित और प्रतिबंधित करने के लिए व्यक्ति, जो कंपनी के भीतर से उत्पन्न होता है और जो बाजार को प्रभावित करता है कंपनी की कीमत के साथ-साथ प्रतिष्ठा और निवेशकों/वित्तदाताओं की हानि कंपनी में विश्वास;
अंदरूनी सूत्रों द्वारा यूपीएसआई को साझा करने की अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए एक समान कोड रखना, किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निकाय के साथ कर्मचारी और नामित व्यक्ति निगमित;
यूपीएसआई के लीक होने या यूपीएसआई के संदिग्ध लीक होने की स्थिति में जांच शुरू करने और सूचित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ठसेबी) को तुरंत;

अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, यदि किसी अंदरूनी सूत्र, कर्मचारी और के खिलाफ उचित समझा जाता हैमनोनीत व्यक्ति जो इस नीति के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं, इसके अलावा किसी भी कार्रवाई से जो सेबी अंदरूनी सूत्र, कर्मचारी और के खिलाफ शुरू / ले सकता हैमनोनीत व्यक्ति।



गठित जांच समिति

इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमेटी जांच समिति होगी, जो: के लिए अधिकृत किया जाए:-
में निहित सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव से संबंधित सूचना या शिकायत, यदि कोई हो;
किसी भी व्यक्ति को, यदि आवश्यक हो, आवश्यक समर्थन सामग्री एकत्र करने के लिए अधिकृत करना;
तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना और मामले पर निर्णय/निर्देश देना;
उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय करना



यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध रिसाव के मामले में जांच की प्रक्रिया:

यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव के बारे में जागरूक होने पर, जिसमें निम्न शामिल हैं:

- स्वप्रेरणा से, इसकी आंतरिक निगरानी के माध्यम से; या;
- एक लिखित शिकायत और/या व्हिसल ब्लोअर के माध्यम से प्राप्त ईमेल कंपनी का तंत्र; या
- नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त संचार,

समिति मूल्यांकन करेगी और निर्धारित करेगी कि क्या मामला किसी जांच के योग्य है

यह स्पष्ट किया जाता है कि बाजार की अफवाहें, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अनुमान, या विश्लेषकों, आदि द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए केवल निर्धारण कारक नहीं होंगे प्रारंभिक जांच शुरू करने और समिति को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि क्या ऐसे प्रत्येक मामले में प्रारंभिक जांच की जानी अपेक्षित है;

यदि समिति ऐसा निर्णय लेती है, तो प्रारंभिक जांच की जाएगी यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध रिसाव का मामला। उसी के लिए तर्क होगा: समिति को वास्तविक तथ्यों को स्थापित करने और संज्ञान लेने और यह तय करने में सक्षम बनाता है कि क्या प्रथम दृष्टया प्रतिभूति कानूनों का कोई उल्लंघन प्रतीत होता है। पर आधारित प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष, समिति तय कर सकती है कि क्या विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक है;

समिति के निर्णय के आधार पर विस्तृत जांच शुरू की जा सकती है वास्तविक/संदिग्ध लीक के संबंध में आरोपों की सत्यता का आकलन करने के लिए यूपीएसआई, इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज की समीक्षा के माध्यम से, जैसा साथ ही साक्षात्कार आयोजित करना, जहां आवश्यक समझा जाए

यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध रिसाव के मामलों की कोई जांच करते समय, समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर विचार करेगी। तदनुसार, यह होगा संबंधित नामित व्यक्ति / अंदरूनी सूत्र को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना जांच के दौरान जिन पर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति निवेदन करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार होंगे और गवाहों आदि को उनके बचाव में, समिति के समक्ष, और समिति को निष्कर्ष निकालने से पहले उसका आकलन और विचार करना होगा मामला

जांच का परिणाम

जांच के निष्कर्ष पर और उसके परिणाम के आधार पर, समिति अनुशासनिक कार्रवाई/जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्णय करेगी, जिन्हें दिया जाना है नामित व्यक्ति/अंदरूनी सूत्र। समिति का निर्णय अंतिम होगा और बंधन

यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध रिसाव का खुलासा:

अनुपालन अधिकारी ऐसी लीक, पूछताछ और के बारे में सेबी को तुरंत सूचित करेगा अनुलग्नक ६ में दिए गए प्रारूप के अनुसार ऐसी पूछताछ के परिणाम

कानून में संशोधन

सेबी विनियम, कंपनी अधिनियम में बाद में कोई संशोधन/संशोधन, इस संबंध में २०१३ और/या लिस्टिंग विनियम और/या अन्य लागू कानून स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होते हैं।

अप्रकाशित मूल्य के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं का कोडसंवेदनशील जानकारी

यह निम्नलिखित यूपीएसआई और बोर्ड के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए नीति तैयार करने का इरादा रखता है: निदेशक इसका अक्षरशः पालन करेंगे



निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण के सिद्धांत

यूपीएसआई का शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण जो मूल्य खोज को जल्द से जल्द प्रभावित करेगा ऐसा करने के लिए विश्वसनीय और ठोस जानकारी अस्तित्व में आती है आम तौर पर उपलब्ध जानकारी;

चयनात्मक से बचने के लिए यूपीएसआई सूचना का एक समान और सार्वभौमिक प्रसार प्रकटीकरण;

जब तक अन्यथा बोर्ड द्वारा हल नहीं किया जाता है, कंपनी सचिव के रूप में कार्य करेगा सूचना के प्रसार से निपटने के लिए मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी और यूपीएसआई का खुलासा;

यूपीएसआई का शीघ्र प्रसार जो चुनिंदा, अनजाने में या का खुलासा हो जाता है अन्यथा ऐसी जानकारी को आम तौर पर उपलब्ध कराने के लिए;

समाचार रिपोर्टों और अनुरोधों पर प्रश्नों के लिए उचित और निष्पक्ष प्रतिक्रियानियामक अधिकारियों द्वारा बाजार में अफवाहों का सत्यापन;

यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषकों और अनुसंधान कर्मियों के साथ साझा की गई जानकारी यूपीएसआई नहीं है;

की कार्यवाही के प्रतिलेख या रिकॉर्ड बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करना आधिकारिक पर विश्लेषकों और अन्य निवेशक संबंध सम्मेलनों के साथ बैठकें किए गए खुलासे की आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट;



जानने की आवश्यकता के आधार पर सभी यूपीएसआई को संभालना

‘वैध उद्देश्य’ के निर्धारण के लिए नीति

सेबी विनियमों के संदर्भ में, ठवैध उद्देश्य शब्द को स्पष्ट किया गया है एक अंदरूनी सूत्र द्वारा व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में यूपीएसआई को साझा करना शामिल है कंपनी के भागीदार, सहयोगी, ऋणदाता, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, व्यापारी बैंकर, कानूनी सलाहकार, लेखा परीक्षक, दिवाला पेशेवर या अन्य सलाहकार या सलाहकार, बशर्ते कि यूपीएसआई के इस तरह के बंटवारे से बचने के लिए नहीं किया गया है या सेबी विनियमों के निषेधों को दरकिनार करना;

सेबी विनियमों के लिए बोर्ड को निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है सेबी विनियमों में दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप ‘वैध उद्देश्य’ किसी विशेष उदाहरण के लिए यूपीएसआई को साझा करने का आकलन ‘वैध उद्देश्य’ के समान पूरी तरह से विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों। तदनुसार, यह नीति केवल उन सिद्धांतों को निर्धारित करती है जो यह आकलन करते समय विचार किया जाना चाहिए कि क्या जिस उद्देश्य के लिए यूपीएसआई

प्रस्तावित है साझा किया जाना ठवैध है; मुख्य रूप से, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

- क्या ऐसी जानकारी को साझा करना व्यवसाय के सामान्य क्रम में है कंपनी;
- क्या जानकारी से बचने या रोकने के लिए जानकारी साझा करने की मांग की गई है विनियमों के निषेध;
- जानकारी साझा करना कंपनी के हित में है या नहीं? एक वास्तविक वाणिज्यिक उद्देश्य को आगे बढ़ाना;
- क्या कंपनी को सक्षम करने के लिए जानकारी साझा करने की आवश्यकता है अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए;

- क्या साझा की जा रही जानकारी की प्रकृति के अनुरूप है जिस उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए है, तो मांग प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराई जाने वाली।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस घटना में यूपीएसआई साझा करने के लिए कई उद्देश्य मौजूद हैं, प्रत्येक उद्देश्यों का मूल्यांकन पूर्वोक्त के अनुसार अपने स्वयं के गुणों के आधार पर किया जाएगा सिद्धांतों;

यूपीएसआई के प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा सूचना और/या संविदात्मक समझौता, जैसे, गोपनीयता समझौता यागैर प्रकटीकरण समझौता, कि:

- साझा की जा रही जानकारी यूपीएसआई है और यह कि कंपनी विशिष्ट है ऐसे यूपीएसआई के मालिक;
- यूपीएसआई प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता को एक अंदरूनी सूत्र माना जाएगा और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अधीन,
- प्राप्तकर्ता को हर समय यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए,
- प्राप्तकर्ता छद्म का उपयोग केवल उन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए कर सकता है जिसके लिए यह खुलासा किया गया था;
- प्राप्तकर्ता एक प्रश्न के लिखित उपक्रम प्रदान करना चाहिए कि वह / वह / यह नहीं किया जाएगा के कब्जे में है, जबकि कंपनी के प्रतिभूतियों में ट्रेडों का कार्य यूपीएसआई;
- प्राप्तकर्ता को कंपनी को हर संभव सहयोग देना चाहिए, जैसा कि हो सकता है इस संबंध में आवश्यक है, और;
- प्राप्तकर्ता भी का विनियमन ९ के मामले में आचार संहिता को अपनाने चाहिए सेबी विनियम,

जानकारी को कंपनी द्वारा समय-समय पर साझा किया जाना चाहिए अपने सलाहकारों और सेवा प्रदाताओं के साथ अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का सामान्य पाठ्यक्रम, अर्थात् कंपनी के लेखापरीक्षक, मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकार/ परामर्श दाता, लाइन में उपरोक्त सिद्धांतों के साथ;

इसके अतिरिक्त, बोर्ड, या अनुपालन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति इस संबंध में बोर्ड, संरचित डिजिटल बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा डेटाबेस, सेबी विनियमों के अनुपालन में, जिसमें आवश्यक विवरण शामिल हैं यूपीएसआई के सभी प्राप्तकर्ता, जो सेबी विनियमों के अनुपालन में यूपीएसआई प्राप्त करते हैं, सहित, नाम, पता, ईमेल, स्थायी खाता संख्या (पैन), या कोई अन्य कानून द्वारा अधिकृत पहचानकर्ता (जहां पैन उपलब्ध नहीं है) और ऐसे अन्य दस्तावेज जैसा आवश्यक हो, बोर्ड या सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से। में इस संबंध में, सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और नियंत्रण स्थापित किए जाएंगे वैध के लिए यूपीएसआई को साझा करने की दिशा में सेबी विनियमों का अनुपालन उद्देश्य।

इस नीति का संशोधन

बोर्ड इस नीति को संपूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह सेबी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे।

परिणाम प्रबंधन के लिए प्रतिबंध रूपरेखा

- क) मौखिक या लिखित चेतावनी;
 बी) अन्य कर्मचारियों और अंदरूनी सूत्रों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना;
 सी) आंतरिक कार्रवाई, उदाहरण के लिए वेतन वृद्धि/पदोन्नति पर रोक, भूमिका में परिवर्तन, नौकरी का स्तर, कंपनी की ईएसओपी योजना में भविष्य में भागीदारी के लिए अपात्रता;
 घ) मौद्रिक दंड, जैसा कि समिति द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है, के आधार पर प्रत्येक मामले की गंभीरता;
 ई) निलंबन या रोजगार समाप्ति;

कोड उल्लंघनों का वर्गीकरण	सुझाए गए प्रतिबंध
तकनीकी उल्लंघन - पूर्व-मंजूरी के बिना व्यापार; - दिनांक से ७ दिनों की समाप्ति के बाद लेनदेन निष्पादित करना पूर्व मंजूरी; - पूर्व-के बाद लेनदेन - पूर्व-के बाद लेनदेन के पूरा होने की गैर-सूचनानिकासी; - के तहत आवश्यक जानकारी की गलत रिपोर्टिंग/गैर-रिपोर्टिंगकोड; - फ़ॉर्म और प्रकटीकरण की गैर-प्रस्तुति जैसा कि आवश्यक हैकोड; - उपचार के अनुपालन में गैर-अनुपालन/विलंबकार्रवाई के रूप में समिति द्वारा लगाया जा सकता है	ऊपर ए से डी तक कोई भी कार्रवाईया उसका एक संयोजन, जैसेद्वारा तय किया जा सकता हैसमिति के आधार पर प्रत्येक मामले की गंभीरता
पर्याप्त उल्लंघन - के दौरान वेदांत लिमिटेड सिक्वोरिटीज में मुनाफाखोरी के लिए ट्रेडिंगनिकट अवधि; - सशर्त पूर्व-मंजूरी के उल्लंघन में लेनदेन करना; - संज्ञात में व्यवहार करना; - संवेदनशील मूल्य के आधार पर प्रतिभूतियों में लेनदेन जानकारी; - मूल्य संवेदनशील जानकारी देना या बनानामें निपटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिशेंऐसी जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियां - यूपीएसआई का शेयरिंग/लीक	ऊपर सी से इ तक की कोई भी क्रिया या उसका एक संयोजन, जैसेकोड द्वारा तय किया जा सकता हैसमिति के आधार पर प्रत्येक मामले की गंभीरता

- टिप्पणियाँ: १. ऊपर उल्लिखित प्रतिबंध परस्पर अनन्य नहीं हैं और एक से अधिक हो सकते हैंकिसी भी स्थिति में लागू।
 २. आईटीएमसी प्रतिबंधों का स्तर तय करते समय कारकों को ध्यान में रख सकता है जैसे:मूल्य संवेदनशील जानकारी, मुनाफाखोरी के मकसद, के स्तर के %ान के रूप मेंसंबंधित व्यक्ति की प्रबंधन जिम्मेदारी, प्रतिभूतियों की संख्यालेन-देन किया गया, चाहे उल्लंघन जानबूझकर इरादे के परिणामस्वरूप हुआ हो या नहीं

प्रतिबंध ढांचा एक के लिए उपयुक्त मंजूरी का निर्धारण करने के लिए एक गाइड प्रदान करता हैसंहिता का उल्लंघन और आईटीएमसी ऊपर सूचीबद्ध नहीं की गई किसी भी अन्य कार्रवाई का निर्णय ले सकता है जो आवश्यक हो सकता हैकिसी विशेष मामले की परिस्थितियों के

ट्रेडिंग की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन

अनुपालन अधिकारी
वेदांत लिमिटेड

दिनांक:-----

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ और कंपनी की संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों और आचार संहिता में व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचरण करना और यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रक्रियाएं, मैं प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री के लिए अनुमोदन चाहता हूँ कंपनी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

नामित व्यक्ति का विवरण	
नाम	
पद	
कड़ाही	
स्थान	
ईमेल आईडी	
संपर्क नंबर	
पूर्व-मंजूरी मांगी गई	स्वयं/तत्काल संबंधी
यदि तत्काल संबंधी के लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई है, तो	
उस तत्काल संबंधी का नाम जिसके लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई थी	
रिश्ते की प्रकृति	
तत्काल रिश्तेदार का पैन	
स्वयं/तत्काल संबंधी जिनके लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई है, द्वारा धारित सुरक्षा का विवरण	
आज तक धारित प्रतिभूतियों की संख्या	
भौतिक रूप में	
अभौतिक रूप में	
प्रस्तावित लेनदेन का विवरण	
प्रस्तावित लेनदेन की प्रकृति	बिक्री/खरीद
लेन-देन के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की संख्या	
पहचाने गए खाते का विवरण	
खाता संख्या के साथ ब्रोकर का नाम और संपर्क विवरण	
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नाम	
डीपी आईडी	
ग्राहक आईडी	
पिछली पूर्व-मंजूरी का विवरण, यदि कोई हो	
शेयरों की संख्या जिनके लिए पूर्व-मंजूरी ली गई थी	
पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन की तिथि	
क्या लेनदेन निष्पादित किया गया था	
यदि हां, लेन-देन किए गए शेयरों की संख्या और मूल्य	
व्यापार नहीं करने के कारण	

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:

क) मुझे लगता है कि अप्रकाशित मूल्य लगाया जा सकता है किसी भी जानकारी को अपने कब्जे में / %ान में नहीं हूँ इस उपक्रम पर हस्ताक्षर करने के समय तक नीति में परिभाषित संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई);

बी) इस घटना में कि मेरे पास ऐसी किसी भी जानकारी का अधिकार/%ान है जिसे यूपीएसआई के रूप में माना जा सकता है, इस उपक्रम पर हस्ताक्षर करने के बाद लेकिन लेनदेन को निष्पादित करने से पहले जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है, अनुपालन अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा और पूरी तरह से व्यवहार करने से बचना होगा कंपनी की प्रतिभूतियां जब तक कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक न हो जाए;

ग) मैंने पिछले/अगले छह . के दौरान किसी भी विपरीत लेनदेन (खरीद / बिक्री) में प्रवेश नहीं किया है और न ही करूंगा पिछले लेनदेन की तारीख से महीने

घ) मैं निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज जमा करने का वचन देता हूँ

★) मुझे लगता है कि जानकारी है, मैं इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित दंडात्मक परिणाम का सामना करने के उत्तरदायी होगा ऊपर घोषणाओं या भ्रमित करने के लिए किसी भी समय गलत पाए जाते हैं;

च) मैं हर समय संहिता के प्रावधानों का पालन करने और से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हूँ व्यापार जैसा अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक हो सकता है और कंपनी को इस तरह के विवरण का खुलासा करने की अनुमति देता है सेबी को, यदि सेबी द्वारा ऐसा आवश्यक हो।

छ) मैं इसके अलावा कंपनी और उसके निदेशकों को क्षतिपूर्ति करने और रखने के लिए सहमत हूँ और सभी और किसी भी दंड/जुर्माने के खिलाफ जो सेबी और/या किसी अन्य वैधानिक द्वारा उन पर लगाया जा सकता है सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम २०१५ के मेरे द्वारा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अधिकारियों के रूप में समय-समय पर संशोधित और कंपनी द्वारा निर्धारित कोड

दिनांक :

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

(निकटतम रिश्तेदार)

नाम:

पद:

कृपया सभी जानकारी प्रदान करें। अधूरे फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुपालन अधिकारी के उपयोग के लिए:

पीसीओ नहीं	आवेदन दिनांक	अनुमोदन दिनांक	अनुमोदन के लिए दी गई(के प्रकार लेन - देन)	अनुमोदन के लिए दी गई(की संख्या शेयर)	पूर्व मंजूरी तक वैध है(दिन/माह/वर्ष)	अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर
			बिक्री/खरीदना			

लेन-देन के प्रकटीकरण का रूप
(कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन देन/डीलिंग के २ दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)

नामित व्यक्ति का नाम	
पद	
कड़ाही	
ईमेल आईडी	
संपर्क नंबर	
यदि व्यापार तत्काल संबंधी के नाम से किया गया था	
तत्काल संबंधी का नाम	
रिश्ते की प्रकृति	
कड़ाही	
स्वीकृत पूर्व-मंजूरी का विवरण:	
लेन-देन का प्रकार जिसके लिए पूर्व-मंजूरी लागू की गई थी	खरीद/बिक्री
शेयरों की संख्या जिनके लिए पूर्व-मंजूरी लागू की गई थी	
के लिए पूर्व-मंजूरी स्वीकृत (सुरक्षा की संख्या और अनुमोदन की तारीख)	
निष्पादित लेनदेन का विवरण	
खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों की संख्या	
डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर	
लेन-देन की तारीख से पहले धारित प्रतिभूतियों की संख्या	
कीमत जिस पर लेनदेन निष्पादित किया गया	
कारण, यदि लेनदेन निष्पादित नहीं किया गया है या यदि कम मात्रा के लिए निष्पादित किया गया है	
अधिग्रहण/बिक्री के बाद धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या	

उपरोक्त लेनदेन के संबंध में, मैं एतद्वारा ५ वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित करने का वचन देता हूँ और अनुपालन अधिकारी / सेबी को निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें:

१. ब्रोकर का अनुबंध नोट।
 २. दलालों को/से भुगतान का प्रमाण।
 ३. बैंक पासबुक/विवरण का उद्धरण (डीमैट लेनदेन के मामले में जमा किया जाना है)।
 ४. सुपुर्दगी निर्देश पत्रों की प्रति (बिक्री लेनदेन के मामले में लागू)।
- मैं उपरोक्त प्रतिभूतियों को न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए रखने के लिए सहमत हूँ। यदि कोई तत्काल आवश्यकता है उक्त अवधि के भीतर इन प्रतिभूतियों को बेचने के लिए, मैं आवश्यक होने पर अनुपालन अधिकारी से संपर्क करूंगा अनुमोदन। (खरीद / सदस्यता के मामले में लागू)।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है और कंपनी की संहिता, सेबी का कोई प्रावधान नहीं है उपर्युक्त को प्रभावित करने के लिए विनियमों और/या लागू कानूनों/विनियमों का उल्लंघन किया गया है लेनदेन (ओं)।

नामित कर्मचारी के हस्ताक्षर

जगहः

फार्म बी

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५

डविनियम ७ (१) (बी) विनियम ६ (२) के साथ पठित - निदेशक/केएमपी/प्रवर्तक बनने पर प्रकटीकरण

कंपनी का नाम: वेदांत लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: ८८२०५०१०२५

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या बनने पर धारित प्रतिभूतियों का विवरण सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विनियम ६(२) में उल्लिखित हैं।

नाम, पैन नंबर, सीआईएन / डीआईएन और पता साथ संपर्क संख्या	व्यक्ति की श्रेणी (प्रवर्तक / केएमपी / निदेशक / तत्काल रिश्तेदारों/अन्य आदि।)	दिनांक का की नियुक्ति निदेशक /केएमपीया तारीख बनने प्रमोटर	के समय धारित प्रतिभूतियां बनने प्रमोटर/निदेशक/केएमपी की		% का शेयर धारिता
			सुरक्षा का प्रकार(उद-हरण के लिए - शेयर, - वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	नहीं।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नोट: ठप्रतिभूतियों का अर्थ सेबी (अंदरूनी सूत्र का निषेध) के विनियम २(१) (ग) के तहत परिभाषित किया गया है। ट्रेडिंग) विनियम, २०१५।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति पर आयोजित कंपनी के डेरिवेटिव में ओपन इंटररेस्ट (ओआई) का विवरण(केएमपी) या निदेशक या प्रमोटर और ऐसे अन्य व्यक्ति बनने पर जैसा कि विनियम ६(२) में वर्णित है

उस समय आयोजित फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटररेस्ट प्रमोटर बनने/ निदेशक की नियुक्ति/केएमपी			पर आयोजित विकल्प अनुबंधों का खुला हितके प्रमोटर/नियुक्ति बनने का समय निदेशक /केएमपी		
अनुबंध विशेष	विवरण की संख्या इकाइयाँ (अनुबंध .)★ बड़ा आकार)	काल्पनिक मूल्य में रुपया मामले	अनुबंध विशेष	विवरण संख्या का इकाइयों (अनुबंध ★ लॉट आकार)	काल्पनिक मूल्य में रुपया मामले
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

नोट: विकल्पों के मामले में, काल्पनिक मूल्य की गणना प्रीमियम प्लस विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

नाम और हस्ताक्षर:

पद:

दिनांक:

जगह:

प्रारंभिक प्रकटीकरण प्रपत्र

(शामिल होने के समय या पदोन्नत होने के समय वेदांत लिमिटेड में शोयरधारिता का प्रारंभिक प्रकटीकरण नियुक्त व्यक्ति)

1	नाम				
2	कड़ाही (पैन उपलब्ध न होने की स्थिति में, कोई अन्य) कानून द्वारा अधिकृत पहचानकर्ता)				
3	पद				
4	स्थान				
5	संपर्क नं.				
6	ईमेल आईडी				
7	स्नातक शैक्षणिक संस्थान				
8	पिछले रोजगार का विवरण (पिछले नियोक्ता का नाम/संगठन)				
9	घोषणा की तिथि				
10	कंपनी में धारित प्रतिभूतियों का विवरण				
a.	नामित व्यक्ति द्वारा आयोजित				
	प्रतिभूतियों की संख्या	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार,	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार, भौतिक रूप में:	यदि डीमैट रूप में धारित है डीपी आईडी ग्राहक आईडी	
b.	तत्काल रिश्तेदार / व्यक्ति द्वारा धारित जिसके साथ नामित व्यक्ति सामग्री वित्तीय साक्षा करता है संबंध				
	तत्काल संबंधी का नाम				
	संबंध				
	कड़ाही (पैन न होने की स्थिति में उपलब्ध, कोई अन्य पहचानकर्ता कानून द्वारा अधिकृत)				
	प्रतिभूतियों की संख्या	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार,	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार, भौतिक रूप में:	यदि डीमैट रूप में धारित है डीपी आईडी ग्राहक आईडी	

• तत्काल संबंधी में पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और उनके बच्चे या पति या पत्नी शामिल हैं, जिनमें से कोई भी एक हैउन पर वित्तीय रूप से निर्भर है, या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में उनसे परामर्श करता है।

• भौतिक वित्तीय संबंध का अर्थ एक ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्राप्तकर्ता होता है भुगतान जैसे कि ऋण या उपहार के माध्यम से तत्काल पूर्ववर्ती १२ महीनों के दौरान, कम से कम के बराबर ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय का २५% लेकिन उस संबंध को शामिल नहीं करेगा जिसमें भुगतान हाथ की लंबाई पर आधारित है लेन - देन

.....
हस्ताक्षर

फॉर्म सी
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५
डविनियम ७ (२) विनियम ६ (२) के साथ पठित - निरंतर प्रकटीकरण

कंपनी का नाम: वेदांत लिमिटेड
कंपनी का आईएसआईएन: २०५०१०२५

एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर, कर्मचारी या निदेशक और अन्य ऐसे व्यक्तियों की प्रतिभूतियों में परिवर्तन का विवरण जैसा कि विनियम ६(२) में उल्लिखित है।

नाम, पैन नहीं, सीआईएन/डीआईएन पता संपर्क के साथ संख्या	की श्रेणीव्यक्ति (प्रवर्तक / केएमपी / निदेशक / आईएमडीएट रिश्तेदारों / अन्य आदि)	प्रतिभूतियां धारित अधिग्रहण से पहले/निपटान		प्रतिभूतियों का अधिग्रहण/निपटान				सिक्योरिटीज होल्ड पोस्ट अधिग्रहण / निपटान		की तारीख आवंटनसलाह / का अधिग्रहण शेयर / शेयरों की बिक्री उल्लिखित करना		दिनांक का सूचना प्रति कंपनी	की तारीख आवंटनसलाह / का अधिग्रहण शेयर / शेयरों की बिक्री उल्लिखित करना
		के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, कन्वर्टिबल डिबेंचर तों आदि)	न. और % का शेयर धारिता इंग	के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, कन्वर्टिबल इक्विटी पत्र आदि)	न.	मूल्य लेनदेन	आयन प्रकार (खरीदना / बिक्री/ प्रति % II / वापस लेना / आह्वान)	के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंटएस, कन्वर्टिबल डिबेंचर आदि)	न. और % का शेयर हो तु	से	प्रति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

नोट: ठप्रतिभूतियों का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के विनियम २(१) (ग) के तहत परिभाषित किया गया है।

किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर, कर्मचारी या निदेशक और अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में व्यापार का विवरण जैसा कि में उल्लिखित है विनियम ६ (२)

		डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (अनुबंध का प्रकार, वायदा या विकल्प निर्दिष्ट करें आदि।)				एक्सचेंज जिस पर व्यापार किया गया था
प्रकार का अनुबंध	अनुबंध विशेष विवरण	खरीदना		बेचना		
		सांकेतिक मूल्य	सांकेतिक मूल्य इकाइयों की संख्या (अनुबंध ★ लॉटआकार)	काल्पनिक मूल्य	की संख्या इकाइयों (अनुबंध ★ लॉटआकार)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

नाम और हस्ताक्षर:

पद:

दिनांक:

जगह:

वार्षिक प्रकटीकरण का रूप
(द्वि ३० प्रस्तुत की जानी करने के लिए वें पिछले वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के अप्रैल)

1	नाम			
2	कड़ाही (पैन उपलब्ध न होने की स्थिति में, कोई अन्य) कानून द्वारा अधिकृत पहचानकर्ता)			
3	पद			
4	स्थान			
5	संपर्क नं.			
6	ईमेल आईडी			
7	स्नातक शैक्षणिक संस्थान			
8	पिछले रोजगार का विवरण (पिछले नियोक्ता का नाम/संगठन)			
9	घोषणा की तिथि			
10	कंपनी में धारित प्रतिभूतियों का विवरण			
a.	नामित व्यक्ति द्वारा आयोजित			
	प्रतिभूतियों की संख्या	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार,	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार, भौतिक रूप में:	यदि डीमैट रूप में धारित है डीपी आईडी ग्राहक आईडी
b.	तत्काल रिश्तेदार / व्यक्ति द्वारा धारित जिसके साथ नामित व्यक्ति सामग्री वित्तीय साक्षा करता है संबंध			
	तत्काल संबंधी का नाम			
	संबंध			
	कड़ाही (पैन न होने की स्थिति में उपलब्ध, कोई अन्य पहचानकर्ता कानून द्वारा अधिकृत)			
	प्रतिभूतियों की संख्या	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार,	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार, भौतिक रूप में:	यदि डीमैट रूप में धारित है डीपी आईडी ग्राहक आईडी

टिप्पणियाँ:

- तत्काल संबंधी में पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और उनके बच्चे या पति या पत्नी शामिल हैं, जिनमें से कोई भी आश्रित हैउन पर वित्तीय रूप से, या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में उनसे परामर्श करता है।
- भौतिक वित्तीय संबंध का अर्थ ऐसे संबंध से है जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है जैसे कि तत्काल पूर्ववर्ती १२ महीनों के दौरान ऋण या उपहार का तरीका, ऐसे भुगतान कर्ता के वार्षिक के कम से कम २५% के बराबर आय लेकिन उस संबंध को बाहर कर देगा जिसमें भुगतान हाथ की लंबाई के लेनदेन पर आधारित है

.....
हस्ताक्षर

फॉर्म डी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५
विनियम ७(३) - कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य जुड़े व्यक्तियों द्वारा लेनदेन

कंपनी का नाम: वेदांत लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: मैं २०५०१०२५

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार का विवरण।

नाम, पैन नहीं, सीआईएन/डीआईएन पता संपर्क के साथ संख्या	संबंध साथ ए कंपनी	प्रतिभूतियां धारित अधिग्रहण से पहले/निपटान		प्रतिभूतियों का अधिग्रहण/निपटान				सिक्क्योरिटीज होल्ड पोस्ट अधिग्रहण /निपटान		की तारीख आवंटनसलाह /का अधिग्रहण शेयर /शेयरों की बिक्री उल्लिखित करना		दिनांक का सूचना प्रति ए कंपनी		की तारीख आवंटनसलाह / का अधिग्रहणशेयर / शेयरों की बिक्री उल्लिखित करना	
		के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, कन्वर्टिबल डिबेंचर तों आदि)	न. और %का शेयर धारिता इंग	के प्रकारसुरक्षा (उदाहरण के लिए -शेयर, वारंट, कन्वर्टिबल इक्विपि पत्र आदि)	नं.	मूल्य लेनदेन	आयन प्रकार (खरीदना / बिक्री/ प्रति % II /वापस लेना / आह्वान)	के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंटएस, कन्वर्टिबल डिबेंचूरेस आदि)	नं. और % का शेयर हो	से	प्रति				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		

नोट: ठप्रतिभूतियों का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के विनियम २(१) (ग) के तहत परिभाषित किया गया है।

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य कनेक्टेड व्यक्ति द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में व्यापार का विवरण

		डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (अनुबंध का प्रकार, वायदा या विकल्प निर्दिष्ट करें आदि।)				एक्सचेंज जिस पर व्यापार किया गया था
प्रकार का अनुबंध	अनुबंध विशेष विवरण	खरीदना		बेचना		
		सांकेतिक मूल्य	सांकेतिक मूल्य इकाइयों की संख्या (अनुबंध ★ लॉटआकार)	काल्पनिक मूल्य	की संख्या इकाइयों (अनुबंध ★ लॉटआकार)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

नाम और हस्ताक्षर:

पद:

दिनांक:

जगह:

वार्षिक व्यापार योजना के लिए आवेदन

प्रति,

दिनांक: _____

अनुपालन अधिकारी
वेदांत लिमिटेड

१. आवेदक का नाम: _____ पैन _____
२. आज तक कंपनी में धारित प्रतिभूतियों की संख्या: _____
३. मांगी गई स्वीकृति: ☐ स्वयं ☐ तत्काल रिश्तेदार (आईआर)
४. ट्रेडिंग प्लान _____ महीने की अवधि के लिए है अर्थात से शुरू होने वाली अवधि के लिए _____ और _____ को समाप्त होता है
५. प्रस्तावित व्यापार का विवरण:

क्रमांक	लेन-देन की प्रकृति(बिक्री/खरीद)	दिनांक का लेनदेन / अवधि / अंतराल लेन - देन	व्यापार का मूल्य/प्रतिभूतियों की संख्या निष्पादित	शर्तें/टिप्पणियां

उपक्रम:

- ए) मैं योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीने से पहले व्यापार शुरू नहीं करूंगा।
- बी) मेरे पास समान अवधि के लिए अतिव्यापी व्यापार योजना नहीं है।
- सी) इस घटना में कि मेरे पास ठाप्रकाशित मूल्य संवेदनशीलता के रूप में मानी जाने वाली किसी भी जानकारी का अधिकार / %ान हैसूचनाठ जैसा कि नीति में परिभाषित किया गया है, इस योजना के निर्माण और अनुमोदन के समय लेकिन जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है उक्त योजना में अनुमोदित समय सारिणी के अनुसार व्यापार करते समय, मैं अनुपालन अधिकारी को सूचित करूंगा जब तक ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से पूरी तरह से बचना चाहिए;
- ई) मैंने मामले में पूर्ण और सही खुलासा किया है।
- च) मैं एक बार स्वीकृत होने के बाद इस व्यापार योजना का पालन करने का वचन देता हूं और ऐसी घोषणाएं/खुलासा प्रस्तुत करूंगा जो हो सकते हैं अनुपालन अधिकारी द्वारा इस योजना की निगरानी के लिए आवश्यक समझा गया।
- छ) मैं इस व्यापार योजना का उपयोग बाजार के दुरुपयोग के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं करूंगा

हस्ताक्षर :

दिनांक:

अनुपालन अधिकारी के उपयोग के लिए:

आवेदन दिनांक	स्वीकृति तिथि	स्वीकृति संख्या	अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर

_____ से शुरू होकर _____ तक _____ महीने की अवधि के लिए ट्रेडिंग योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचना _____ अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर : _____

संबद्ध

संहिता के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति (एक व्यक्ति या एक कानूनी व्यक्ति होने के नाते, जैसे कि एक कंपनी) ठसंबद्ध है अंदरूनी सूत्र के साथ अगर, लेकिन केवल अगर, वह (स्वयं ऐसा नामित कर्मचारी नहीं है) है:

१. किसी अंदरूनी सूत्र का तत्काल संबंधी या;
२. सिवाय जहां संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित हो, एक निगमित निकाय जिसमें नामित कर्मचारी साथ में हो किसी अन्य एसोसिएटेड व्यक्ति के साथ कम से कम १० प्रतिशत हिस्सेदारी। इक्विटी शेयर पूंजी के या के हकदार हैं व्यायाम करें या १० प्रतिशत व्यायाम को नियंत्रित करें। या अधिक मतदान अधिकार या व्यवहार में जहां उसका या उसके निर्देशों या निर्देशों का सामान्य रूप से पालन किया जाता है या;
३. एक कॉर्पोरेट निकाय जिसमें अंदरूनी सूत्र या कोई अन्य व्यक्ति जो अन्यथा जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक निदेशक या एक वरिष्ठ कार्यकारी जो भविष्य के विकास को प्रभावित करने वाले प्रबंधन निर्णय लेने की शक्ति रखता है और उस निकाय कॉर्पोरेट की व्यावसायिक संभावनाएं या;
४. किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करने वाला व्यक्ति जिसके लाभार्थियों में शामिल हैं:
 - अंदरूनी सूत्र, उसके पति/पत्नी और निदेशक/कर्मचारी/सलाहकार; या
 - एक निगमित निकाय जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है या किसी ऐसे ट्रस्ट का है जिसकी शर्तें इस पर अधिकार प्रदान करती हैं ट्रस्टी जिनका प्रयोग अंदरूनी सूत्र, उनके पति या पत्नी, बच्चों या ऐसे किसी भी निकाय के लाभ के लिए किया जा सकता है कॉर्पोरेट या
५. एक व्यक्ति उस अंदरूनी सूत्र के भागीदार के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है;
६. किसी व्यक्ति के भागीदार के रूप में अपनी हैसियत से कार्य करने वाला व्यक्ति जो:-
 - उस अंदरूनी सूत्र का जीवनसाथी;
 - उस अंदरूनी सूत्र का बच्चा;
 - एक निगमित निकाय जिसके साथ वह अंदरूनी सूत्र संबद्ध है; या
 - ऊपर पैरा ४ में निर्दिष्ट प्रकार के किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करने वाला व्यक्ति।

सेबी को यूपीएस आई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव की रिपोर्ट करने का प्रारूप

प्रति,
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
प्लॉट नंबर सी ४-ए, जी ब्लॉक,
बैंक ऑफ इंडिया के पास, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा पूर्व, मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र

संदर्भ: स्क्रिप कोड बीएसई - ५००२९५
एनएसई - ३३३

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय: सेबी के विनियम ९ए (५) के अनुसार यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव की रिपोर्ट (अंदरूनी सूत्र का निषेध) ट्रेडिंग) विनियमन, २०१५।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के विनियम ९ए (५) के अनुसार, हम वास्तविक या कंपनी की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) का संदिग्ध रिसाव, निम्नानुसार है;

अपराधी का नाम, यदि लागू हो।	
संगठन का नाम।	
पद (कर्मचारी, अंदरूनी सूत्र, नामित व्यक्ति या कोई अन्य)	
सूचना की प्रकृति	
क्या कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई शुरू की गई है। यदि हाँ, तो उसी का वर्णन अन्य कोई सूचना।	हाँ नहीं

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को अपने रिकॉर्ड में लें।

आपको धन्यवाद,

आपका विश्वासी,
वेदांत लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



अंदरूनी व्यापार निषेध संहिता

- कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता;
- अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील के लीक होने की स्थिति में जांच के लिए नीति और प्रक्रियाएं जानकारी;
- अप्रकाशित मूल्य के उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता और प्रक्रिया एंठ वैध उद्देश्य के निर्धारण के लिए संवेदनशील सूचना और नीति

संस्करण - R6

०६ नवंबर, २०२० से प्रभावी
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के अनुसार और जैसा कि इसके द्वारा अनुमोदित है
०६ नवंबर, २०२० को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल

पंजीकृत कार्यालय: पहली मंजिल, सी विंग, यूनिट १०३, कॉर्पोरेट एवेन्यू, अतुल प्रोजेक्ट्स,
चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३, महाराष्ट्र, भारत.
सीआईएन: एल१३२०९एमएच१९६५पीएलसी२९१३९४
वेबसाइट: www.vedantalimited.com

वेदांत लिमिटेड

कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता

पृष्ठभूमि

प्रतिभूति कानून का पालन करने और इसे संरक्षित करने के लिए अंदरूनी व्यापार को रोकना आवश्यक है वेदांत लिमिटेड (ठ कंपनी ठ) और संबद्ध सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और अखंडता इसके साथ। ठ अंदरूनी व्यापार तब हो सकता है। जब कोई व्यक्ति सदस्यता लेता है, खरीदता है, बेचता है, सौदा करता है, या अंदर के कब्जे में रहते हुए किसी भी प्रतिभूतियों और ट्रेडों में सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने, सौदा करने के लिए सहमत हैं कंपनी की प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी या सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि बाद में संहिता में बताया गया है, ठ अंदर की जानकारी सूचना है एक कंपनी से संबंधित है जो सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है या इसकी प्रतिभूतियां जो ह ठमूल्य संवेदनशील और ठ आम तौर पर उपलब्ध नहीं दोनों के रूप में माना जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक है भारत में मौजूदा कानूनों के तहत दंडनीय अपराध। इनसाइडर ट्रेडिंग निषिद्ध है और इसका परिणाम हो सकता है की कंपनी के रोजगार से बर्खास्तगी सहित गंभीर प्रतिबंधों में संबंधित व्यक्ति।

यह कोड नामितों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का अनुपालन करने वाले व्यक्ति (अंदरूनी सूत्र का निषेध) ट्रेडिंग विनियम, २०१५, समय-समय पर संशोधित। संहिता निर्धारित है सुनिश्चित करें कि नामित व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करते हैं जब यूपीएसआई का कब्जा, और किसी भी सट्टा लेनदेन को रोकने के लिए, जाने-अनजाने, नामित व्यक्तियों।

कंपनी किसी भी प्रकार के इनसाइडर ट्रेडिंग या इसी तरह की गैरकानूनी सुरक्षा के प्रति सहनशीलता नहीं रखती है संबंधित व्यापार प्रथाओं।

संदर्भ

इस संहिता को निम्नलिखित के साथ संयोजन के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए:

- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम २०१५, समय-समय पर संशोधित;
- समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, २०१३ के लागू प्रावधान;
- कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता और

व्याख्या

इस नीति में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो निहित है सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ (सेबी पीआईटी विनियम) में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, १९९२, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, १९५६, डिपॉजिटरी अधिनियम, १९९६ या कंपनी अधिनियम, २०१३ और नियम और विनियम इसके तहत किया गया।

दायरा और प्रयोज्यता

यह संहिता सभी अंदरूनी सूत्रों पर लागू होती है। प्रत्येक अंदरूनी सूत्र को इस कोड की समीक्षा करनी चाहिए। प्रश्न इस संहिता के संबंध में अनुपालन अधिकारी को ईमेल आईडी पर निर्देशित किया जाना चाहिए compliance.officer@vedanta.co.in

परिभाषाएं

अंदरूनी सूत्रों में शामिल हैं:

१) नामित व्यक्तियों में शामिल हैं:

- a. प्रमोटर, निदेशक, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधनबी।
- b. होल्डिंग और सामग्री सहायक के निदेशक और केएमपीसी।
- c. समूह EXCO
- d. एसबीयू प्रमुख

- e. निदेशकों, केएमपी और समूह मैनेजर्स के ईए/पीए
- f. निम्नलिखित विभाग के कर्मचारी (मुंबई, गुडगांव, दिल्ली और लंदन कॉर्पोरेट कार्यालय) - जिन्हें यूपीएसआई के लिए गुप्त माना जाता है।
 - खजाना- एफपी एंड ए और वित्तीय रिपोर्टिंग टीम सहित कॉर्पोरेट वित्त
 - कर लगाना
 - मासो
 - व्यावसायिक संस्था का संचार तंत्र
 - कंपनी की रणनीति
 - निवेशक सम्बन्ध
 - व्यावसायिक
 - सचिवीय
 - कानूनी
 - एम एंड ए
 - आईटी और एचआरजी।
- g. सामग्री सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को उनकी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर नामित किया गया था उनके निदेशक मंडल द्वारा संगठन में यूपीएसआई तक पहुंच;
- h. समूह प्रबंधन समिति
- i. व्यवसाय प्रबंधन समिति
- j. समारोह
 - वित्त
 - व्यावसायिक
 - विपणन
 - कानूनी
 - नीति वकालत
 - औद्योगिक संचारक
- k. ऐसे अन्य व्यक्ति जो अनुपालन अधिकारी की राय में कब्जे में हैं यूपीएसआई का;
- l. जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, नामित व्यक्तियों के तत्काल संबंधी;

२) सेबी पीआईटी विनियमों में परिभाषित कनेक्टेड व्यक्ति;

३) कोई भी व्यक्ति जिसके पास यूपीएसआई है या उसकी पहुंच है;

४) कोई अन्य व्यक्ति जिसे इनसाइडर की परिभाषा के दायरे में शामिल किया जा सकता है: लागू सेबी विनियम और अमेरिकी प्रतिभूति कानून या जो की राय में कंपनी के अनुपालन अधिकारी को इनसाइडर की श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है;

निकटतम रिश्तेदार

निकटतम रिश्तेदार का अर्थ है किसी व्यक्ति का जीवनसाथी, और इसमें माता-पिता, भाई-बहन और ऐसे व्यक्ति या के बच्चे शामिल हैं पति या पत्नी, जिनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या परामर्श करता है प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसा व्यक्ति;

नोट : यदि पति या पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और लेते समय किसी अंदरूनी सूत्र से परामर्श नहीं करते हैं व्यापारिक निर्णय, पति या पत्नी को तत्काल की परिभाषा से छूट नहीं दी जाएगी रिश्तेदार। एक पति या पत्नी को तत्काल रिश्तेदार माना जाता है, जब तक कि ऐसा खंडन न किया जाए।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI)

का अर्थ है कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी जानकारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किआम तौर पर उपलब्ध नहीं होता है, जो आम तौर पर उपलब्ध होने पर होने की संभावना है प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करता है और सामान्यतया इसमें शामिल है लेकिन नहीं निम्नलिखित से संबंधित सूचना तक सीमित:-

वित्तीय परिणाम;

लाभांश; पूंजी संरचना में परिवर्तन; विलय, डी-विलय, अधिग्रहण, डीलिटिंग, निपटान और विस्तारव्यापार और ऐसे अन्य लेनदेन;

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में परिवर्तन;

कोई अन्य घटना जो कंपनी/अनुपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती है जो कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है

व्यापार: इसका मतलब है और सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना, या सदस्यता लेने के लिए सहमत होना, खरीदना, कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को बेचना, सौदा करना या गिरवी



व्यापार

इसका मतलब है और सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना, या सदस्यता लेने के लिए सहमत होना, खरीदना, कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को बेचना, सौदा करना या गिरवी रखना और ठव्यापार का अर्थ लगाया जाएगा इसलिए;



इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है?

इनसाइडर ट्रेडिंग मुख्य रूप से किसके लाभ के साथ प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग का कार्य है? यूपीएसआई के लिए असममित पहुंच, जो प्रकाशित होने पर, की कीमत को प्रभावित करेगा बाजार में प्रतिभूतियों

सेबी विनियमों के तहत 'ट्रेडिंग' की परिभाषा व्यापक है, और इसमें शामिल हैं, अन्य बातों के अलावा, सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना, या इनमें से कोई भी करने के लिए सहमत होना वो वस्तुएं। इसके अलावा, कंपनी की प्रतिभूतियों को गिरवी रखना, जबकि का कब्जा है यूपीएसआई, 'ट्रेडिंग' के रूप में माना जाएगा

आमतौर पर यह समझा जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

अंदरूनी सूत्रों/कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों और उनके संबंधित तत्काल द्वारा व्यापार रिश्तेदार, यूपीएसआई के कब्जे में, या उस तक पहुंच होने के बावजूद, चाहे कोई भी होऐसी जानकारी के कब्जे में आया था या उसकी पहुंच थी; या

अन्य लोगों के लिए यूपीएसआई को संचार करना, प्रदान करना, पहुंच की अनुमति देना या टिपिंग करना, जिसमें शामिल हैं कंपनी के प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार की सिफारिश करते हुए, या ऐसी जानकारी तक पहुंच होना

इनसाइडर्स की ओर से पोर्टफोलियो मैनेजर्स द्वारा ट्रेडिंग को भी इनसाइडर माना जाता है ट्रेडिंग और इसलिए नामित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस दौरान उचित सावधानी बरतें द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से प्रतिभूतियों में व्यापार

अंदरूनी सूत्रों के पास उनकी कंपनी और उसके शेयरधारकों के लिए स्वतंत्र प्रत्ययी कर्तव्य नहीं हैं कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित यूपीएसआई पर व्यापार करने के लिए। के सभी निदेशक और कर्मचारी कंपनी को यूपीएसआई के संबंध में खुद को अंदरूनी सूत्र समझना चाहिए:

व्यापार, गतिविधियों और प्रतिभूतियों। निदेशक और कर्मचारी न तो व्यापार करेंगे कंपनी से संबंधित यूपीएसआई के कब्जे में रहते हुए कंपनी की प्रतिभूतियां और न ही टिप (न ही) आगे बढ़ने के लिए जरूरत-से-जानने के आधार को छोड़कर संचार, प्रदान या पहुंच की अनुमति दें वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों का प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों का निर्वहन) जैसे दूसरों को जानकारी

जब किसी व्यक्ति ने यूपीएसआई के कब्जे में रहते हुए प्रतिभूतियों में व्यापार किया है, तो उसके व्यापार में के %ान और जागरूकता से प्रेरित माना गया है कि जानकारी उसके कब्जे में है।



नीति के गैर-अनुपालन के परिणाम

इस संहिता का पालन करने में विफलता एक अनुशासनात्मक मुद्दा है और इसका गठन भी हो सकता है कुछ मामलों में आपराधिक अपराध। कोई भी कर्मचारी जिसमें उनके तत्काल संबंधी शामिल हैं

जो इस संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह इसके लिए उत्तरदायी होगादण्ड/अनुशासनात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई जैसा कि 'अंदरूनी सूत्र' द्वारा उचित समझा जा सकता हैव्यापार निगरानी समिति (आईटीएमसी)' ने मंजूरी ढांचे के अनुसार निर्णय लिया औरआईटीएमसी द्वारा अनुमोदित। समिति द्वारा की गई कार्रवाई के साथ इस संहिता के सभी उल्लंघनवर्ग-नपनी की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को सूचित किया जाएगा:

तिमाही आधार पर। कंपनी की उपरोक्त कार्रवाइयां किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई जो नियामक प्राधिकरण ऐसे कर्मचारी के खिलाफ शुरू कर सकते हैं



सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा दंड

यदि कोई इनसाइडर इनसाइडर ट्रेडिंग कोड / सेबी के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हैविनियम, ऐसे अंदरूनी सूत्र के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे सेबी अधिनियम, १९९२ के प्रावधान। सेबी अधिनियम, १९९२ के तहत न्यूनतम जुर्माना हैरु. १० लाख, जो रु. ट्रेडिंग से हुआ २५ करोड़ या ३ गुना मुनाफा, जो कोई उच्चतर हो

विभिन्न प्रक्रियाएं जो वेदांत लिमिटेड द्वारा इनसाइडर को रोकने के लिए रखी गई हैं व्यापार

निम्नलिखित प्रक्रियाओं को स्थापित किया गया है, और बनाए रखा और लागू किया जाएगा, द्वाराकंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। प्रत्येक मनोनीत कर्मचारी को अनुसरण करना आवश्यक हैये प्रक्रियाएं:-



यूपीएसआई तक पहुंच पर प्रतिबंध

सूचना तक पहुंच: यूपीएसआई के साथ काम करते समय, कंपनी के कारोबार के संबंध में, कमाईया संभावनाएं, पूंजी जुटाने, आदि, कंपनी/अनुपालन अधिकारी सुनिश्चित करेगाकि यूपीएसआई का कोई भी प्रकटीकरण केवल जानने की आवश्यकता के आधार पर होगा और वह नहींवैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अलावा, यूपीएसआई का संचार होता है, कर्तव्यों का प्रदर्शन या कानूनी दायित्व का निर्वहन;

मनोनीत व्यक्ति यूपीएसआई के साथ उचित देखभाल करने के लिए बाध्य हैं और उनका कर्तव्य है कि यूपीएसआई की प्राप्ति के स्रोत की परवाह किए बिना यूपीएसआई की सुरक्षा करें। नामित व्यक्तियूपीएसआई का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए करें न कि किसी व्यक्तिगत लाभ/किसी से बचने के लिएलागू कानून का नुकसान/उल्लंघन।

तृतीय पक्षों से पूछताछतीसरे पक्ष से पूछताछ, जैसे विश्लेषकों या मीडिया के सदस्यों, के बारे मेंकंपनी को आंतरिक नीति के अनुसार निर्देशित/संभालना चाहिए।



यूपीएसआई तक पहुंच की सीमाएं

यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं:

मनोनीत व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक सभी कदम और और सावधानियां बरतनी चाहिएअन्य बातों के अलावा, यूपीएसआई तक पहुंच और सुरक्षति: -

ए) यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखना;

बी) अपने व्यवसाय/पेशे और व्यक्तिगत/सामाजिक गतिविधियों का संचालनताकि यूपीएसआई के अनजाने प्रकटीकरण का जोखिम न हो;

ग) सार्वजनिक स्थानों पर गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा प्रतिबंधित होनी चाहिएताकि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा यूपीएसआई तक पहुंच को रोका जा सके।

यूपीएसआई युक्त दस्तावेजों और फाइलों (कंप्यूटर फाइलों सहित) तक पहुंच को प्रतिबंधित करना जानने की आवश्यकता के आधार पर व्यक्तियों के लिए (इस पर नियंत्रण बनाए रखने सहित) दस्तावेजों का वितरण और दस्तावेजों के मसौदे);

यूपीएसआई युक्त फाइलों को प्रतिबंधित पहुंच और कंप्यूटर के साथ सुरक्षित रखा जाएगा यूपीएसआई वाली फाइलों को लॉगिन, पासवर्ड आदि की मदद से सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त भौतिक और सूचनात्मक अवरोध लगाए जाएंगे यूपीएसआई की गोपनीयता;

सभी गोपनीय दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को तुरंत हटाना और साफ करना किसी भी बैठक के समापन के बाद सम्मेलन कक्षों से यूपीएसआई युक्त;

सभी गोपनीय दस्तावेजों और यूपीएसआई युक्त अन्य कागजात का निपटान, बाद में श्रेडर के माध्यम से अब कोई व्यवसाय या अन्य कानूनी रूप से आवश्यक आवश्यकता नहीं है जब उपयुक्त हो;

गोपनीय दस्तावेजों या यूपीएसआई वाले क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना;

तथा उन जगहों पर यूपीएसआई से संबंधित किसी भी चर्चा से बचना जहां जानकारी हो सकती है दूसरों द्वारा सुना जाना, जैसे कि लिफ्ट, टॉयलेट, हॉलवे, रेस्तरां, हवाई जहाज या टैक्सी कैब, आदि;

जिन व्यक्तियों के पास संभव सीमा तक यूपीएसआई है, या जो उस तक पहुंच रखते हैं, उन्हें चाहिए अन्य कंपनी से अलग क्षेत्रों में अपने व्यवसाय और अन्य गतिविधियों का संचालन करें गतिविधियों, ताकि यूपीएसआई के किसी भी रिसाव से बचा जा सके



चीनी दीवारों की प्रक्रिया

संहिता के संदर्भ में, नामित व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के रूप में माना जाता है जिनके पास पहुंच है या यूपीएसआई तक पहुंच की उम्मीद है

यूपीएसआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए, कंपनी ठीकी दीवारों को बनाए रखेगी और परिसर को अंदर के क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अलग करे। अंदर के क्षेत्रों का संदर्भ कंपनी के वे क्षेत्र और विभाग जिनमें यूपीएसआई सामान्यतः हो सकता है उपलब्ध। सार्वजनिक क्षेत्र उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जहां कोई भी यूपीएसआई सामान्य रूप से नहीं होगा उपलब्ध है, और जिसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है

अंदर के क्षेत्र सामान्य रूप से केवल नामित व्यक्तियों के लिए ही सुलभ होंगे। अंदर के क्षेत्र में नामित व्यक्ति किसी भी यूपीएसआई को किसी से भी संवाद नहीं करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। इसके अलावा, जो कर्मचारी नामित व्यक्ति हैं उन्हें शारीरिक रूप से होना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों से अलग। असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रों से ठीकी दीवार के ऊपर लाया जा सकता है और गोपनीय दिया जा सकता है को सूचना के तहत ठीक जानने की आवश्यकता का मानदंड के आधार पर सूचना अनुपालन अधिकारी।

जहां कहीं भी किसी नामित व्यक्ति द्वारा यूपीएसआई साझा करने की आवश्यकता होती है अन्य कर्मचारी/बाहरी तृतीय पक्ष, आदि, वैध को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्यों, कर्तव्यों का प्रदर्शन या अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन, जिस व्यक्ति को इस तरह की जानकारी साझा करने का प्रस्ताव है, उसे ठीकी दीवार-पार किया जाएगा नीचे दी गई वॉल-क्रॉसिंग प्रक्रिया के माध्यम से।

दीवार पार करने की प्रक्रिया

ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को दीवार पार करना आवश्यक हो, अर्थात उसे ऊपर लाया जाए एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए यूपीएसआई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए चीनी दीवार, पूर्वअनुपालन अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। अनुपालन अधिकारी विचार करें कि क्या दीवार पार करने वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर यूपीएसआई प्रदान किया जा रहा है-से - जानने के आधार पर। इसके अलावा, ऐसी वॉल-क्रॉसर के साथ साझा किए गए यूपीएसआई को सीमित किया जाना चाहिए विशिष्ट लेनदेन या उद्देश्य के लिए जिसके लिए ऐसे व्यक्ति की सहायता आवश्यक है

जो लोग दीवार पार कर चुके हैं / यूपीएसआई प्राप्त करते हैं उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि वे करेंगे इस संहिता के तहत 'नामित व्यक्ति' और 'अंदरूनी सूत्र' समझा जाएगा और परिणाम स्वरूप, ऐसे व्यक्तियों को सभी लागू का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी संहिता और सेबी विनियमों के प्रावधान, जब तक कि ऐसी जानकारी यूपीएसआई न हो

सभी वाल क्रॉसिंग का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके अलावा, अनुपालन अधिकारी को उन सभी मामलों के बारे में सूचित किया जाएगा जिसमें एक व्यक्ति किया गया है दीवार को पार करना (ऐसी दीवार - क्रॉसिंग के समय), प्रक्रिया के अनुसार ऊपर निर्धारित किया गया है, ताकि अनुपालन अधिकारी को उपयुक्त बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सके इस संबंध में रिकॉर्ड

यूपीएसआई के प्राप्तकर्ता को कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की सूचना

यूपीएसआई के किसी भी प्राप्तकर्ता को 'नामित व्यक्ति' और 'अंदरूनी' माना जाएगा इस संहिता के उद्देश्य। तदनुसार, ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित के लिए करार निष्पादित करेंगे: गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों को पूरा करना; (बी) जानकारी इतनी रखें गोपनीय प्राप्त किया; (सी) केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए यूपीएसआई का उपयोग करें; और (डी) अन्यथा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करते हैं, या होने पर यूपीएसआई तक पहुंच

यूपीएसआई के प्राप्तकर्ता का डिजिटल डेटाबेस

सेबी विनियमों के विनियम ३(२) के तहत आवश्यकतानुसार, अनुपालन अधिकारी, जैसा कि हो सकता है बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाएगा, ऐसे का एक संरचित डिजिटल डेटाबेस बनाए रखेगा व्यक्ति या संस्थाएं, जैसा भी मामला हो, जिनके साथ ळइए साझा किया जाता है, साथ में प्राप्तकर्ताओं से संबंधित निम्नलिखित जानकारी; यूपीएसआई के ऐसे प्राप्तकर्ता का नाम; उस संगठन या संस्था का नाम जिसका प्राप्तकर्ता प्रतिनिधित्व करता है ऐसे प्राप्तकर्ता का डाक पता और ई-मेल आईडी

स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता, यदि पैन उपलब्ध नहीं है

ऐसे डेटाबेस को सेबी के नियमों के अनुसार समय-समय पर बनाए रखा जाएगा समय-समय पर, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और समय की मोहर लगाने जैसी जाँचों सहित और ऐसे डेटाबेस से छेड़छाड़ न करना सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट ट्रायल

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए इनसाइडर को रोकने के लिए इस कोड और सेबी विनियमों में दी गई आवश्यकताओं के साथ व्यापार। आंतरिक नियंत्रण में शामिल होंगे: - ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिनके पास यूपीएसआई तक पहुंच है, या जिनके पास यूपीएसआई तक पहुंच होने की उम्मीद है, जैसे ना-मत व्यक्ति; ळइए की पहचान करना और लागू होने पर आवश्यकतानुसार इसकी गोपनीयता बनाए रखना कानून; संचार, या यूपीएसआई की खरीद पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाना;

उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाए रखना जिनके साथ ळइए साझा किया गया है और उन्हें जागरूक करनासंहिता के तहत उनकी गोपनीयता और अन्य दायित्वों की;उनके मूल्यांकन के लिए लागू किए गए उपायों और आंतरिक नियंत्रणों की समय-समय पर समीक्षा करें प्रभावशीलता

ट्रेडिंग योजना

एक अंदरूनी सूत्र सेबी के अनुपालन में एक ट्रेडिंग योजना तैयार करने का हकदार होगाकंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए विनियम और इसे अनुपालन के समक्ष प्रस्तुत करनाअनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अधिकारी जिसके अनुसार व्यापार किया जा सकता है अनुबंध हैं में ऐसी योजना के अनुसार उसकी ओर से

नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी

लागू सेबी के अनजाने उल्लंघनों को रोकने में सहायता प्रदान करने के लिएविनियम और अमेरिकी प्रतिभूति कानून और में अनौचित्य की उपस्थिति से बचने के लिएकंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के संबंध में, में कोई भी लेनदेनकंपनी की प्रतिभूतियां (बिना किसी सीमा के, अधिग्रहण और निपटान सहित)कंपनी की प्रतिभूतियां) नामित व्यक्तियों द्वारा पूर्व-मंजूरी दी जानी चाहिए

स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) के मामले में, विकल्पों के प्रयोग की अनुमति बिना पूर्व-निकासी हालांकि, स्टॉक विकल्पों के प्रयोग पर आवंटित शेयरों की बिक्रीपूर्व मंजूरी की आवश्यकता है पूर्व-मंजूरी को निम्नानुसार अनुमोदित और प्राप्त करने की आवश्यकता है:

- सभी पूर्व-मंजूरी अनुपालन अधिकारी को लागू करने की आवश्यकता है;
- पूर्व-मंजूरी को समूह सीएफओ और अनुपालन द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया जाएगा कंपनी के अधिकारी

नामित व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार प्राप्त करने के बाद ही व्यापार कर सकते हैं अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित लेनदेन की पूर्व-मंजूरीअनुलग्नक ६ के अनुसार एक आवेदन जमा करना और यह घोषित करना कि वे इसमें नहीं हैंकिसी भी मूल्य संवेदनशील जानकारी का अधिकार

इस संहिता और/या मौखिक के तहत नामित व्यक्तियों से कोई मौखिक अनुरोधकंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए पुष्टि स्वीकार्य नहीं है और करेगाकी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए वैध अनुरोध या अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए-कंपनी

अनुमोदन/अस्वीकृति की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से दी जाएगी अगर एक अनुरोधव्यापार से इनकार कर दिया है, अनुपालन अधिकारी का एक लिखित बयान प्रदान करेगा कारण, जहाँ तक संभव हो, उसकी सहमति को रोकने के लिए

जब तक संबंधित नामित व्यक्ति को से औपचारिक संचार प्राप्त नहीं होता है अनुपालन अधिकारी व्यापार को मंजूरी दे रहा है, कोई अनुमोदन नहीं माना जाएगा दी गई है और नामित व्यक्ति की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं कर सकता है कंपनी

अनुमति प्रदान करते समय, अनुपालन अधिकारी कुछ शर्तें लगा सकता हैया प्रतिबंध, जैसा आवश्यक हो सकता है। अनुपालन अधिकारी को भी ध्यान रखना होगापूर्व के लिए आवेदन करने वाले नामित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई कोई घोषणानिकासी यथोचित रूप से गलत के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है

साथ ही, मनोनीत व्यक्ति केवल उतनी ही प्रतिभूतियों का व्यापार कर सकता है जिसके लिएअनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यापार जो से अधिक है

प्रतिभूतियों की संख्या जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है या जो एक प्रकार का है जो स्वीकृत किया गया है, उससे भिन्न, अनुमेय नहीं है। उसी की आवश्यकता होगी संहिता में प्रदान की गई नई स्वीकृति

उदाहरण के तौर पर, यदि कर्मचारी ठाठ को १०० . खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है शेयर, फिर संहिता की अन्य शर्तों के अधीन, ठाठ १०० शेयर तक खरीद सकता है लेकिन शेयरों की कोई बिक्री नहीं कर सकता। साथ ही, ठाठ के लिए अनुमोदन नहीं होगा किसी अन्य कर्मचारी ठाठ के लिए अनुमोदन के रूप में माना जाता है, जब तक कि प्रक्रिया के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है कोड के बाद ठाठ है

पूर्व-मंजूरी एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद, ७ कारोबारी दिनों की अवधि के लिए वैध होगी अनुमोदन की तिथि। लेन-देन एकल / एकाधिक किशतों में निष्पादित किए जाएंगे के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है;

मनोनीत व्यक्ति निष्पादन के २ (दो) कार्य दिवसों के भीतर फाइल करेगा इस तरह के सौदे का विवरण, अनुपालन अधिकारी के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रति अनुलग्नक छ ;

यदि अनुमोदन दिए जाने के बाद ७ कारोबारी दिनों के भीतर आदेश निष्पादित नहीं किया जाता है, तोनामित व्यक्ति को लेनदेन को फिर से पूर्व-समाप्त करना होगा। मनोनीत व्यक्ति अनुपालन अधिकारी को प्रारूप के अनुसार कारण प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी अनुबंध छ में प्रदान किया गया है , यदि कोई ट्रेड निष्पादित नहीं किया जाता है या निष्पादित किए गए ट्रेड हैं जिस मात्रा के लिए अनुमोदन मांगा गया था, उससे कम मात्रा के लिए

मनोनीत व्यक्ति विपरीत लेन-देन में प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात् बेचना या खरीदना पूर्व के बाद अगले ६ (छह) महीनों के दौरान कितनी भी प्रतिभूतियाँ लेन - बशर्ते कि यह निम्नलिखित के अनुसार ट्रेडों के लिए लागू नहीं होगा स्टॉक विकल्पों का अभ्यास;

कॉन्ट्रा ट्रेड का प्रतिबंध सदस्यता के संबंध में लागू नहीं होगा अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) में शेयर/परिवर्तनीय; बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस); अधिकारओपन ऑफर में शेयरों का निर्गम या टेंडरिंग; शेयर बाय-बैक या डीलिलिस्टिंग ऑफर, बाहर निकलें ऑफर आदि। कॉन्ट्रा ट्रेड का प्रतिबंध किए गए ट्रेडों पर भी लागू नहीं होगा एक व्यापार योजना के अनुसार अनुमोदित किया जा सकता है;

अनुपालन अधिकारी इस तरह के सख्त आवेदन से छूट दे सकता है संबंधित नामित द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर प्रतिबंध व्यक्ति और इस संबंध में कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद; बशर्ते कि ऐसा छूट सेबी विनियमों का उल्लंघन नहीं करती है

यदि अनजाने में या अन्यथा, उल्लंघन में एक अनुबंध व्यापार निष्पादित किया जाता है पूर्वोक्त प्रतिबंध, इस तरह के व्यापार से होने वाले लाभ के लिए असंबद्ध होने के लिए उत्तरदायी होगा निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में क्रेडिट के लिए सेबी को प्रेषण अधिनियम के तहत सेबी द्वारा प्रशासित;

नामित व्यक्ति व्युत्पन्न लेनदेनों में भी स्थान नहीं लेगा किसी भी समय कंपनी की प्रतिभूतियां .;

मामले में कंपनी के अनुपालन अधिकारी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने का इरादा है कंपनी, वह इनसाइडर ट्रेडिंग से व्यापार की पूर्व-मंजूरी मांगेगा कंपनी की निगरानी समिति (आईटीएमसी)। संहिता के अन्य सभी प्रावधान अनुपालन अधिकारी द्वारा लेनदेन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन लागू होते हैं;

 ट्रेडिंग विंडो

कंपनी एक ट्रेडिंग अवधि निर्दिष्ट करेगी, जिसे ठट्रेडिंग विंडो कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार। कोई भी नामित व्यक्ति किसी में व्यापार नहीं करेगा ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियां;

ट्रेडिंग विंडो प्रत्येक तिमाही के अंत से बाद में ४८ . तक बंद नहीं होगी वित्तीय परिणामों की घोषणा के कुछ घंटे बाद। के प्रारंभ होने का समय ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का निर्णय अनुपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। एलएलएन के ४८ घंटे से पहले ट्रेडिंग विंडो नहीं खोली जाएगी सह लोक;

इसके अतिरिक्त, अनुपालन अधिकारी के प्रारंभ के लिए समय निर्दिष्ट कर सकता है के समय ट्रेडिंग विंडो बंद करना:

- लाभांश की घोषणा (अंतरिम और अंतिम);
- जनता/अधिकार/बोनस निर्गम आदि के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करना;
- कोई बड़ी विस्तार योजना या नई परियोजनाओं का निष्पादन;
- समामेलन, विलय, अधिग्रहण और वापस खरीद;
- पूरे या काफी हद तक पूरे उपक्रम का निपटान;
- कंपनी की नीतियों, योजनाओं या संचालन में कोई परिवर्तन;

इसके अलावा कोई अन्य अवधि जिसे अनुपालन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है अधिकारी को भी बंद अवधि के रूप में माना जाएगा

सभी मनोनीत व्यक्ति अपनी सभी प्रतिभूतियों में व्यापार करेंगे कंपनी केवल पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और एक वैध ट्रेडिंग विंडो में और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से जुड़े किसी भी लेनदेन में व्यापार नहीं करेगा कंपनी की उस अवधि के दौरान जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो, या किसी के दौरान अन्य अवधि जैसा कि कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

जब ट्रेडिंग विंडो खुली होती है, तो नामित व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी व्यापार के अधीन होगा अनुपालन अधिकारी द्वारा पूर्व-मंजूरी।

 विविध

लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा वित्तीय परिणामों की मंजूरी के बीच का अंतर ऐसे वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिए बैठक यथासंभव संकीर्ण होनी चाहिए और अधिमानतः उसी दिन यूपीएसआई के रिसाव से बचने के लिए;

यदि इस संहिता के कोई प्रावधान इसके विपरीत या असंगत है सेबी विनियमों के तहत प्रावधान, सेबी विनियमों के प्रावधान: प्रचलित होना।

 अंदरूनी व्यापार निगरानी समिति

अंदरूनी व्यापार निगरानी समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

- समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
- कंपनी सचिव (सीएस)

समूह का मुख्य वित्तीय अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा और कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

अंदरूनी व्यापार निगरानी समिति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- संहिता का समग्र प्रशासन;
- वास्तविक/या संदिग्ध लीक के मामले में पूछताछ/जांच करनायूपीएसआई, और संहिता के अन्य उल्लंघन;
- अनुपालन में चूक करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाना कोड;
- रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन;
- समिति, उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकती है/ऐसे किसी भी उल्लंघन और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सिक्वोरिटीज को करने का निर्णय लें और भारतीय विनियम बोर्ड। कंपनी की उपरोक्त कार्रवाई बिना होगी किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह जो नियामक प्राधिकरण कर सकते हैं/ऐसे कर्मचारी के खिलाफ पहल करें;
- मनोनीत व्यक्तियों और अन्य की सूची तय करना और अंतिम रूप देना, जो समय-समय पर इस संहिता द्वारा कवर किया जाना चाहिए;
- समिति उपरोक्त सभी या इनमें से किसी को भी अनुपालन के लिए प्रत्यायोजित कर सकती है कंपनी के अधिकारी।

अनुपालन अधिकारी और रिपोर्टिंग तंत्र के कर्तव्य

अनुपालन अधिकारी, बोर्ड की देखरेख में और समिति, नीतियों, प्रक्रियाओं, रखरखाव के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी रिकॉर्ड, यूपीएसआई के संरक्षण के लिए नियमों के पालन की निगरानी, संहिता के अनुसार ट्रेडों की निगरानी और संहिता के कार्यान्वयन, बनाए बनाए रखना नामित व्यक्तियों (और उनके निकट संबंधी) के रिकॉर्ड और कोई भी परिवर्तन नामित व्यक्तियों (और उनके निकट संबंधी) की सूची में बनाया गया है और सेबी विनियमों और के संबंध में मांगे गए मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण प्रदान करना कोड;

अनुपालन अधिकारी ऐसी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और विशेष रूप से, द्वारा ट्रेडिंग के संबंध में रिपोर्ट सहित बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति नामित व्यक्तियों, हर तिमाही, उन्हें अनुपालन की समीक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए इस संहिता और सेबी विनियमों के प्रावधान और यह सत्यापित करने के लिए कि सिस्टम आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं;

अनुपालन अधिकारी सभी घोषणाओं / प्रकटीकरणों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा नामित व्यक्तियों द्वारा कम से कम पांच साल की अवधि के लिए दिया जाता है।

अनुपालन अधिकारी को आवश्यक प्रकटीकरण करने के लिए अधिकृत किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों के अनुपालन में सेबी विनियम।

अनुपालन अधिकारी यूपीएसआई का एक समान और सार्वभौमिक प्रसार सुनिश्चित करेगा चयनात्मक प्रकटीकरण से बचें

किसी भी व्यापार को मंजूरी देने से पहले, अनुपालन अधिकारी तलाश करने का हकदार होगा इस आशय की घोषणा कि पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदक का कब्जा नहीं है/किसी भी यूपीएसआई की उसे इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि क्या ऐसी कोई घोषणा है? यथोचित रूप से गलत होने में सक्षम।

अनुपालन अधिकारी अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि में निर्धारित है संहिता या सेबी विनियम।

ऐसे अन्य कर्तव्य जो इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग द्वारा प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं समय-समय पर समिति

प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

 प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह, निदेशकों, केएमपी, वरिष्ठ . द्वारा प्रारंभिक प्रकटीकरण प्रबंधन और नामित व्यक्ति

कंपनी के प्रत्येक प्रमोटर/प्रमोटर समूह, निदेशक, केएमपी खुलासा करेंगे अनुबंध छः में दिए गए विवरण के अनुसार फॉर्म ए में कंपनी में उनकी प्रतिभूतियों की धारिता ०१ अप्रैल २०१९ से ३० दिनों के भीतर;

केएमपी, वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक के रूप में नियुक्ति पर प्रत्येक व्यक्ति कंपनी या प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का सदस्य बनने पर नियुक्ति या प्रमोटर या प्रमोटर का सदस्य बनने के ७ दिनों के भीतर समूह अनुपालन के लिए कंपनी में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण का खुलासा करता है अनुलग्नक छ में दिए गए विवरण के अनुसार प्रपत्र में अधिकारी ;

नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में सभी होल्डिंग्स होने पर अनुबंध ६ में वर्णित अनुसार ७ दिनों के भीतर एक नामित व्यक्ति के रूप में पहचाना गया

 प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों, निदेशकों और . द्वारा निरंतर प्रकटीकरणमनोनीत व्यक्ति

प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, निदेशक और नामित व्यक्ति लेन-देन के दो कारोबारी दिनों के भीतर कंपनी को की संख्या का खुलासा करें प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या निपटान, यदि प्रतिभूतियों का मूल्य कारोबार होता है, चाहे मेक्सि भी कैलेंडर तिमाही में एक लेन-देन या लेन-देन की एक श्रृंखला, को एकत्रित करता है ₹ १० लाख से अधिक का एक व्यापारिक मूल्य या ऐसा अन्य मूल्य जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है अनुबंध ८ में दिए गए विवरण के अनुसार फॉर्म सी में अनुपालन अधिकारी ;

कंपनी दो ट्रेडिंग के भीतर प्राप्त फॉर्म सी के विवरण को सूचित करेगी प्रकटीकरण की प्राप्ति के दिन या लेन-देन के बारे में जागरूक होने से स्टॉक एक्सचेंजों;

 नामित व्यक्तियों द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण

अनुबंध ८ में नीचे दिए गए व्यौरों को शामिल करते हुए उसका वार्षिक प्रकटीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ३० दिनों की अवधि:

क) तत्काल रिश्तेदारों और व्यक्तियों के नाम जिनके साथ ऐसे पदाभिहित किए गए हैं व्यक्ति (व्यक्तियों) एक भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है ;

बी) पैन या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता (ए)

ग) (ए) में उल्लिखित व्यक्तियों के फोन, मोबाइल नंबर

नोट: ठ भौतिक वित्तीय संबंध ठ का अर्थ रिश्ते के रूप में संबंध होगा जो एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है जैसे ऋण या उपहार के माध्यम से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान, ऐसे के कम से कम २५% के बराबर भुगतानकर्ता की वार्षिक आय लेकिन उन संबंधों को शामिल नहीं करेगा जिनमें भुगतान आधारित है हाथ की लंबाई का लेनदेन। ”

नामित व्यक्तियों द्वारा एकमुश्त प्रकटीकरण

जिन शिक्षण संस्थानों से नामित किया गया है, उनके नामों का एकमुश्त प्रकटीकरण व्यक्तियों ने अनुबंध ऋ में अध्ययन किया है और उनके पिछले नियोक्ताओं के नाम

जुड़े व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

अनुपालन अधिकारी अपने विवेक से किसी अन्य अंदरूनी सूत्र को बनाने की आवश्यकता कर सकता है। इस तरह के रूप में कंपनी की प्रतिभूतियों में होल्डिंग्स और ट्रेडिंग का खुलासा और ऐसी आवृत्ति पर जिसे अनुपालन की निगरानी के लिए आवश्यक समझा जा सकता है इन सेबी विनियमों के साथ प्रपत्र डी में जैसा कि अनुलग्नक ऋ में वर्णित है

अनुपालन अधिकारी समय-समय पर निम्नलिखित के प्रारूपों की समीक्षा और संशोधन कर सकता है प्रकटीकरण प्रस्तुत करना, जैसा उपयुक्त हो सकता है .

जम्मेदारी

यह प्रत्येक अंदरूनी सूत्र की जम्मेदारी है कि जिस पर संहिता लागू हो, उसका पालन करें और संहिता के प्रावधानों का पालन करें। जब संदेह हो, तो अंदरूनी सूत्र सहायता मांग सकते हैं संहिता या अन्य संबंधित प्रावधानों के किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी लागू नियम

प्रतिशोध और उत्पीड़न के खिलाफ कर्मचारियों की सुरक्षा

यूपीएसआई के लीक होने या इस संहिता के उल्लंघन के किसी भी संदेहास्पद उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट किया जा सकता है व्हिसल ब्लोअर तंत्र। इस नीति के तहत संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिशोध सख्त वर्जित है कर्मचारी जो इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनों के किसी भी कथित उल्लंघन की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट करते हैं सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (तीसरा) के माध्यम से मुखबिर तंत्र की शुरुआत की गई संशोधन) विनियम, २०१९ दिनांक १७ सितंबर, २०१९, के विरुद्ध संरक्षित किया जाएगा कोई भी निर्वहन, समाप्ति, पदावनति, निलंबन, धमकी, उत्पीड़न, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से या भेदभाव

नीति की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को संशोधन, संशोधन करने का अधिकार होगा, इन नियमों की व्याख्या करें और ऐसे नियम ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो बोर्ड कर सकता है इस संबंध में सूचित करें

कानून में संशोधन

सेबी विनियमों और अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों में बाद में कोई संशोधन/संशोधन, कंपनी अधिनियम, २०१३ और/या सूचीकरण विनियम और/या इसमें अन्य लागू कानूनसंबंध स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होंगे

अस्वीकरण

यह नीति केवल आंतरिक आचार संहिता है और इससे बचने के उपायों में से एक है इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रत्येक अंदरूनी सूत्र को सेबी के साथ खुद को परिचित करने की आवश्यकता है विनियमों के रूप में यह प्रत्येक अंदरूनी सूत्र (और उसके रिश्तेदारों) की जम्मेदारी होगी इस संहिता, सेबी विनियमन और अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अन्य संबंधित कानून पूरी तरह से।

यूपीएसआई के लीक होने की स्थिति में पूछताछ की प्रक्रिया के लिए नीति



पृष्ठभूमि

सेबी विनियम, विनियम ९ए(५) के संदर्भ में, बोर्ड को नीतियां बनाने की आवश्यकता है और यूपीएसआई के लीक/संदिग्ध रिसाव के मामले में जांच के लिए प्रक्रियाएं

यूपीएसआई के किसी भी वास्तविक या संदिग्ध रिसाव की किसी भी जांच को तथ्यों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है और ऐसे प्रत्येक उदाहरण की परिस्थितियाँ। यह देखते हुए कि एक प्रदान करना संभव नहीं है ऐसे प्रत्येक उदाहरण की जांच करते समय लागू मानक संचालन प्रक्रिया यूपीएसआई के लीक/संदिग्ध लीक होने पर, यह नीति उन व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करती है जो बोर्ड करेगा यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव के मामलों की जांच करते समय पालन करें।



उद्देश्य

यूपीएसआई के रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना;
अनधिकृत के साथ यूपीएसआई को साझा करने की प्रथा को प्रतिबंधित और प्रतिबंधित करने के लिए व्यक्ति, जो कंपनी के भीतर से उत्पन्न होता है और जो बाजार को प्रभावित करता है कंपनी की कीमत के साथ-साथ प्रतिष्ठा और निवेशकों/वित्तदाताओं की हानि कंपनी में विश्वास;
अंदरूनी सूत्रों द्वारा यूपीएसआई को साझा करने की अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए एक समान कोड रखना, किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निकाय के साथ कर्मचारी और नामित व्यक्ति निगमित;
यूपीएसआई के लीक होने या यूपीएसआई के संदिग्ध लीक होने की स्थिति में जांच शुरू करने और सूचित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ठसेबी) को तुरंत;

अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, यदि किसी अंदरूनी सूत्र, कर्मचारी और के खिलाफ उचित समझा जाता हैमनोनीत व्यक्ति जो इस नीति के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं, इसके अलावा किसी भी कार्रवाई से जो सेबी अंदरूनी सूत्र, कर्मचारी और के खिलाफ शुरू / ले सकता हैमनोनीत व्यक्ति।



गठित जांच समिति

इनसाइडर ट्रेडिंग मॉनिटरिंग कमेटी जांच समिति होगी, जो: के लिए अधिकृत किया जाए:-
में निहित सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव से संबंधित सूचना या शिकायत, यदि कोई हो;
किसी भी व्यक्ति को, यदि आवश्यक हो, आवश्यक समर्थन सामग्री एकत्र करने के लिए अधिकृत करना;
तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना और मामले पर निर्णय/निर्देश देना;
उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय करना



यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध रिसाव के मामले में जांच की प्रक्रिया:

यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव के बारे में जागरूक होने पर, जिसमें निम्न शामिल हैं:

- स्वप्रेरणा से, इसकी आंतरिक निगरानी के माध्यम से; या;
- एक लिखित शिकायत और/या व्हिसल ब्लोअर के माध्यम से प्राप्त ईमेल कंपनी का तंत्र; या
- नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त संचार,

समिति मूल्यांकन करेगी और निर्धारित करेगी कि क्या मामला किसी जांच के योग्य है

यह स्पष्ट किया जाता है कि बाजार की अफवाहें, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अनुमान, या विश्लेषकों, आदि द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए केवल निर्धारण कारक नहीं होंगे प्रारंभिक जांच शुरू करने और समिति को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि क्या ऐसे प्रत्येक मामले में प्रारंभिक जांच की जानी अपेक्षित है;

यदि समिति ऐसा निर्णय लेती है, तो प्रारंभिक जांच की जाएगी यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध रिसाव का मामला। उसी के लिए तर्क होगा: समिति को वास्तविक तथ्यों को स्थापित करने और संज्ञान लेने और यह तय करने में सक्षम बनाता है कि क्या प्रथम दृष्टया प्रतिभूति कानूनों का कोई उल्लंघन प्रतीत होता है। पर आधारित प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष, समिति तय कर सकती है कि क्या विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक है;

समिति के निर्णय के आधार पर विस्तृत जांच शुरू की जा सकती है वास्तविक/संदिग्ध लीक के संबंध में आरोपों की सत्यता का आकलन करने के लिए यूपीएसआई, इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज की समीक्षा के माध्यम से, जैसा साथ ही साक्षात्कार आयोजित करना, जहां आवश्यक समझा जाए

यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध रिसाव के मामलों की कोई जांच करते समय, समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर विचार करेगी। तदनुसार, यह होगा संबंधित नामित व्यक्ति / अंदरूनी सूत्र को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना जांच के दौरान जिन पर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति निवेदन करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार होंगे और गवाहों आदि को उनके बचाव में, समिति के समक्ष, और समिति को निष्कर्ष निकालने से पहले उसका आकलन और विचार करना होगा मामला

जांच का परिणाम

जांच के निष्कर्ष पर और उसके परिणाम के आधार पर, समिति अनुशासनिक कार्रवाई/जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्णय करेगी, जिन्हें दिया जाना है नामित व्यक्ति/अंदरूनी सूत्र। समिति का निर्णय अंतिम होगा और बंधन

यूपीएसआई के वास्तविक/संदिग्ध रिसाव का खुलासा:

अनुपालन अधिकारी ऐसी लीक, पूछताछ और के बारे में सेबी को तुरंत सूचित करेगा अनुलग्नक ६ में दिए गए प्रारूप के अनुसार ऐसी पूछताछ के परिणाम

कानून में संशोधन

सेबी विनियम, कंपनी अधिनियम में बाद में कोई संशोधन/संशोधन, इस संबंध में २०१३ और/या लिस्टिंग विनियम और/या अन्य लागू कानून स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होते हैं।

अप्रकाशित मूल्य के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं का कोडसंवेदनशील जानकारी

यह निम्नलिखित यूपीएसआई और बोर्ड के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए नीति तैयार करने का इरादा रखता है: निदेशक इसका अक्षरशः पालन करेंगे



निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण के सिद्धांत

यूपीएसआई का शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण जो मूल्य खोज को जल्द से जल्द प्रभावित करेगा ऐसा करने के लिए विश्वसनीय और ठोस जानकारी अस्तित्व में आती है आम तौर पर उपलब्ध जानकारी;

चयनात्मक से बचने के लिए यूपीएसआई सूचना का एक समान और सार्वभौमिक प्रसार प्रकटीकरण;

जब तक अन्यथा बोर्ड द्वारा हल नहीं किया जाता है, कंपनी सचिव के रूप में कार्य करेगा सूचना के प्रसार से निपटने के लिए मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी और यूपीएसआई का खुलासा;

यूपीएसआई का शीघ्र प्रसार जो चुनिंदा, अनजाने में या का खुलासा हो जाता है अन्यथा ऐसी जानकारी को आम तौर पर उपलब्ध कराने के लिए;

समाचार रिपोर्टों और अनुरोधों पर प्रश्नों के लिए उचित और निष्पक्ष प्रतिक्रियानियामक अधिकारियों द्वारा बाजार में अफवाहों का सत्यापन;

यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषकों और अनुसंधान कर्मियों के साथ साझा की गई जानकारी यूपीएसआई नहीं है;

की कार्यवाही के प्रतिलेख या रिकॉर्ड बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करना आधिकारिक पर विश्लेषकों और अन्य निवेशक संबंध सम्मेलनों के साथ बैठकें किए गए खुलासे की आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट;



जानने की आवश्यकता के आधार पर सभी यूपीएसआई को संभालना

‘वैध उद्देश्य’ के निर्धारण के लिए नीति

सेबी विनियमों के संदर्भ में, ठवैध उद्देश्य शब्द को स्पष्ट किया गया है एक अंदरूनी सूत्र द्वारा व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में यूपीएसआई को साझा करना शामिल है कंपनी के भागीदार, सहयोगी, ऋणदाता, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, व्यापारी बैंकर, कानूनी सलाहकार, लेखा परीक्षक, दिवाला पेशेवर या अन्य सलाहकार या सलाहकार, बशर्ते कि यूपीएसआई के इस तरह के बंटवारे से बचने के लिए नहीं किया गया है या सेबी विनियमों के निषेधों को दरकिनार करना;

सेबी विनियमों के लिए बोर्ड को निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है सेबी विनियमों में दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप ‘वैध उद्देश्य’ किसी विशेष उदाहरण के लिए यूपीएसआई को साझा करने का आकलन ‘वैध उद्देश्य’ के समान पूरी तरह से विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों। तदनुसार, यह नीति केवल उन सिद्धांतों को निर्धारित करती है जो यह आकलन करते समय विचार किया जाना चाहिए कि क्या जिस उद्देश्य के लिए यूपीएसआई

प्रस्तावित है साझा किया जाना ठवैध है; मुख्य रूप से, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

- क्या ऐसी जानकारी को साझा करना व्यवसाय के सामान्य क्रम में है कंपनी;
- क्या जानकारी से बचने या रोकने के लिए जानकारी साझा करने की मांग की गई है विनियमों के निषेध;
- जानकारी साझा करना कंपनी के हित में है या नहीं? एक वास्तविक वाणिज्यिक उद्देश्य को आगे बढ़ाना;
- क्या कंपनी को सक्षम करने के लिए जानकारी साझा करने की आवश्यकता है अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए;

- क्या साझा की जा रही जानकारी की प्रकृति के अनुरूप है जिस उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए है, तो मांग प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराई जाने वाली।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस घटना में यूपीएसआई साझा करने के लिए कई उद्देश्य मौजूद हैं, प्रत्येक उद्देश्यों का मूल्यांकन पूर्वोक्त के अनुसार अपने स्वयं के गुणों के आधार पर किया जाएगा सिद्धांतों;

यूपीएसआई के प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा सूचना और/या संविदात्मक समझौता, जैसे, गोपनीयता समझौता यागैर प्रकटीकरण समझौता, कि:

- साझा की जा रही जानकारी यूपीएसआई है और यह कि कंपनी विशिष्ट है ऐसे यूपीएसआई के मालिक;
- यूपीएसआई प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता को एक अंदरूनी सूत्र माना जाएगा और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अधीन,
- प्राप्तकर्ता को हर समय यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए,
- प्राप्तकर्ता ळइए का उपयोग केवल उन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए कर सकता है जिसके लिए यह खुलासा किया गया था;
- प्राप्तकर्ता एक प्रश्न के लिखित उपक्रम प्रदान करना चाहिए कि वह / वह / यह नहीं किया जाएगा के कब्जे में है, जबकि कंपनी के प्रतिभूतियों में ट्रेडों का कार्य यूपीएसआई;
- प्राप्तकर्ता को कंपनी को हर संभव सहयोग देना चाहिए, जैसा कि हो सकता है इस संबंध में आवश्यक है, और;
- प्राप्तकर्ता भी का विनियमन ९ के मामले में आचार संहिता को अपनाने चाहिए सेबी विनियम,

जानकारी को कंपनी द्वारा समय-समय पर साझा किया जाना चाहिए अपने सलाहकारों और सेवा प्रदाताओं के साथ अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का सामान्य पाठ्यक्रम, अर्थात् कंपनी के लेखापरीक्षक, मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकार/ परामर्श दाता, लाइन में उपरोक्त सिद्धांतों के साथ;

इसके अतिरिक्त, बोर्ड, या अनुपालन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति इस संबंध में बोर्ड, संरचित डिजिटल बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा डेटाबेस, सेबी विनियमों के अनुपालन में, जिसमें आवश्यक विवरण शामिल हैं यूपीएसआई के सभी प्राप्तकर्ता, जो सेबी विनियमों के अनुपालन में यूपीएसआई प्राप्त करते हैं, सहित, नाम, पता, ईमेल, स्थायी खाता संख्या (पैन), या कोई अन्य कानून द्वारा अधिकृत पहचानकर्ता (जहां पैन उपलब्ध नहीं है) और ऐसे अन्य दस्तावेज जैसा आवश्यक हो, बोर्ड या सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से। में इस संबंध में, सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और नियंत्रण स्थापित किए जाएंगे वैध के लिए यूपीएसआई को साझा करने की दिशा में सेबी विनियमों का अनुपालन उद्देश्य।



इस नीति का संशोधन

बोर्ड इस नीति को संपूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह सेबी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे।

परिणाम प्रबंधन के लिए प्रतिबंध रूपरेखा

- क) मौखिक या लिखित चेतावनी;
 बी) अन्य कर्मचारियों और अंदरूनी सूत्रों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना;
 सी) आंतरिक कार्रवाई, उदाहरण के लिए वेतन वृद्धि/पदोन्नति पर रोक, भूमिका में परिवर्तन, नौकरी का स्तर, कंपनी की ईएसओपी योजना में भविष्य में भागीदारी के लिए अपात्रता;
 घ) मौद्रिक दंड, जैसा कि समिति द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है, के आधार पर प्रत्येक मामले की गंभीरता;
 ई) निलंबन या रोजगार समाप्ति;

कोड उल्लंघनों का वर्गीकरण	सुझाए गए प्रतिबंध
तकनीकी उल्लंघन - पूर्व-मंजूरी के बिना व्यापार; - दिनांक से ७ दिनों की समाप्ति के बाद लेनदेन निष्पादित करना पूर्व मंजूरी; - पूर्व-के बाद लेनदेन - पूर्व-के बाद लेनदेन के पूरा होने की गैर-सूचनानिकासी; - के तहत आवश्यक जानकारी की गलत रिपोर्टिंग/गैर-रिपोर्टिंगकोड; - फ़ॉर्म और प्रकटीकरण की गैर-प्रस्तुति जैसा कि आवश्यक हैकोड; - उपचार के अनुपालन में गैर-अनुपालन/विलंबकार्रवाई के रूप में समिति द्वारा लगाया जा सकता है	ऊपर ए से डी तक कोई भी कार्रवाईया उसका एक संयोजन, जैसेद्वारा तय किया जा सकता हैसमिति के आधार पर प्रत्येक मामले की गंभीरता
पर्याप्त उल्लंघन - के दौरान वेदांत लिमिटेड सिक्वोरिटीज में मुनाफाखोरी के लिए ट्रेडिंगनिकट अवधि; - सशर्त पूर्व-मंजूरी के उल्लंघन में लेनदेन करना; - संज्ञात में व्यवहार करना; - संवेदनशील मूल्य के आधार पर प्रतिभूतियों में लेनदेन जानकारी; - मूल्य संवेदनशील जानकारी देना या बनानामें निपटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिशेंऐसी जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियां - यूपीएसआई का शेयरिंग/लीक	ऊपर सी से इ तक की कोई भी क्रिया या उसका एक संयोजन, जैसेकोड द्वारा तय किया जा सकता हैसमिति के आधार पर प्रत्येक मामले की गंभीरता

- टिप्पणियाँ: १. ऊपर उल्लिखित प्रतिबंध परस्पर अनन्य नहीं हैं और एक से अधिक हो सकते हैंकिसी भी स्थिति में लागू।
 २. आईटीएमसी प्रतिबंधों का स्तर तय करते समय कारकों को ध्यान में रख सकता है जैसे:मूल्य संवेदनशील जानकारी, मुनाफाखोरी के मकसद, के स्तर के %ान के रूप मेंसंबंधित व्यक्ति की प्रबंधन जिम्मेदारी, प्रतिभूतियों की संख्यालेन-देन किया गया, चाहे उल्लंघन जानबूझकर इरादे के परिणामस्वरूप हुआ हो या नहीं

प्रतिबंध ढांचा एक के लिए उपयुक्त मंजूरी का निर्धारण करने के लिए एक गाइड प्रदान करता हैसंहिता का उल्लंघन और आईटीएमसी ऊपर सूचीबद्ध नहीं की गई किसी भी अन्य कार्रवाई का निर्णय ले सकता है जो आवश्यक हो सकता हैकिसी विशेष मामले की परिस्थितियों के

ट्रेडिंग की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन

 अनुपालन अधिकारी
वेदांत लिमिटेड

दिनांक:-----

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ और कंपनी की संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों और आचार संहिता में व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचरण करना और यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रक्रियाएं, मैं प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री के लिए अनुमोदन चाहता हूँ कंपनी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

नामित व्यक्ति का विवरण	
नाम	
पद	
कड़ाही	
स्थान	
ईमेल आईडी	
संपर्क नंबर	
पूर्व-मंजूरी मांगी गई	स्वयं/तत्काल संबंधी
यदि तत्काल संबंधी के लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई है, तो	
उस तत्काल संबंधी का नाम जिसके लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई थी	
रिश्ते की प्रकृति	
तत्काल रिश्तेदार का पैन	
स्वयं/तत्काल संबंधी जिनके लिए पूर्व-मंजूरी मांगी गई है, द्वारा धारित सुरक्षा का विवरण	
आज तक धारित प्रतिभूतियों की संख्या	
भौतिक रूप में	
अभौतिक रूप में	
प्रस्तावित लेनदेन का विवरण	
प्रस्तावित लेनदेन की प्रकृति	बिक्री/खरीद
लेन-देन के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की संख्या	
पहचाने गए खाते का विवरण	
खाता संख्या के साथ ब्रोकर का नाम और संपर्क विवरण	
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नाम	
डीपी आईडी	
ग्राहक आईडी	
पिछली पूर्व-मंजूरी का विवरण, यदि कोई हो	
शेयरों की संख्या जिनके लिए पूर्व-मंजूरी ली गई थी	
पूर्व-मंजूरी के अनुमोदन की तिथि	
क्या लेनदेन निष्पादित किया गया था	
यदि हां, लेन-देन किए गए शेयरों की संख्या और मूल्य	
व्यापार नहीं करने के कारण	

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:

क) मुझे लगता है कि अप्रकाशित मूल्य लगाया जा सकता है किसी भी जानकारी को अपने कब्जे में / %ान में नहीं हूँ इस उपक्रम पर हस्ताक्षर करने के समय तक नीति में परिभाषित संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई);

बी) इस घटना में कि मेरे पास ऐसी किसी भी जानकारी का अधिकार/%ान है जिसे यूपीएसआई के रूप में माना जा सकता है, इस उपक्रम पर हस्ताक्षर करने के बाद लेकिन लेनदेन को निष्पादित करने से पहले जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है, अनुपालन अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा और पूरी तरह से व्यवहार करने से बचना होगा कंपनी की प्रतिभूतियां जब तक कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक न हो जाए;

ग) मैंने पिछले/अगले छह . के दौरान किसी भी विपरीत लेनदेन (खरीद / बिक्री) में प्रवेश नहीं किया है और न ही करूंगा पिछले लेनदेन की तारीख से महीने

घ) मैं निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज जमा करने का वचन देता हूँ

★) मुझे लगता है कि जानकारी है, मैं इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित दंडात्मक परिणाम का सामना करने के उत्तरदायी होगा ऊपर घोषणाओं या भ्रमित करने के लिए किसी भी समय गलत पाए जाते हैं;

च) मैं हर समय संहिता के प्रावधानों का पालन करने और से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हूँ व्यापार जैसा अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक हो सकता है और कंपनी को इस तरह के विवरण का खुलासा करने की अनुमति देता है सेबी को, यदि सेबी द्वारा ऐसा आवश्यक हो।

छ) मैं इसके अलावा कंपनी और उसके निदेशकों को क्षतिपूर्ति करने और रखने के लिए सहमत हूँ और सभी और किसी भी दंड/ जुर्माने के खिलाफ जो सेबी और/या किसी अन्य वैधानिक द्वारा उन पर लगाया जा सकता है सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम २०१५ के मेरे द्वारा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अधिकारियों के रूप में समय-समय पर संशोधित और कंपनी द्वारा निर्धारित कोड

दिनांक :

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

(निकटतम रिश्तेदार)

नाम:

पद:

कृपया सभी जानकारी प्रदान करें। अधूरे फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुपालन अधिकारी के उपयोग के लिए:

पीसीओ नहीं	आवेदन दिनांक	अनुमोदन दिनांक	अनुमोदन के लिए दी गई(के प्रकार लेन - देन)	अनुमोदन के लिए दी गई(की संख्या शेयर)	पूर्व मंजूरी तक वैध है(दिन/ माह/ वर्ष)	अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर
			बिक्री/ खरीदना			

लेन-देन के प्रकटीकरण का रूप
(कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन देन/डीलिंग के २ दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)

नामित व्यक्ति का नाम	
पद	
कड़ाही	
ईमेल आईडी	
संपर्क नंबर	
यदि व्यापार तत्काल संबंधी के नाम से किया गया था	
तत्काल संबंधी का नाम	
रिश्ते की प्रकृति	
कड़ाही	
स्वीकृत पूर्व-मंजूरी का विवरण:	
लेन-देन का प्रकार जिसके लिए पूर्व-मंजूरी लागू की गई थी	खरीद/बिक्री
शेयरों की संख्या जिनके लिए पूर्व-मंजूरी लागू की गई थी	
के लिए पूर्व-मंजूरी स्वीकृत (सुरक्षा की संख्या और अनुमोदन की तारीख)	
निष्पादित लेनदेन का विवरण	
खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों की संख्या	
डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर	
लेन-देन की तारीख से पहले धारित प्रतिभूतियों की संख्या	
कीमत जिस पर लेनदेन निष्पादित किया गया	
कारण, यदि लेनदेन निष्पादित नहीं किया गया है या यदि कम मात्रा के लिए निष्पादित किया गया है	
अधिग्रहण/बिक्री के बाद धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या	

उपरोक्त लेनदेन के संबंध में, मैं एतद्वारा ५ वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित करने का वचन देता हूं और अनुपालन अधिकारी / सेबी को निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें:

१. ब्रोकर का अनुबंध नोट।

२. दलालों को/से भुगतान का प्रमाण।

३. बैंक पासबुक/विवरण का उद्धरण (डीमैट लेनदेन के मामले में जमा किया जाना है)।

४. सुपुर्दगी निर्देश पत्रों की प्रति (बिक्री लेनदेन के मामले में लागू)।

मैं उपरोक्त प्रतिभूतियों को न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए रखने के लिए सहमत हूं। यदि कोई तत्काल आवश्यकता है उक्त अवधि के भीतर इन प्रतिभूतियों को बेचने के लिए, मैं आवश्यक होने पर अनुपालन अधिकारी से संपर्क करूंगा अनुमोदन। (खरीद / सदस्यता के मामले में लागू)।

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सही है और कंपनी की संहिता, सेबी का कोई प्रावधान नहीं है उपर्युक्त को प्रभावित करने के लिए विनियमों और/या लागू कानूनों/विनियमों का उल्लंघन किया गया है लेनदेन (ओं)।

नामित कर्मचारी के हस्ताक्षर

फॉर्म ए

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५

डिविनियम ७ (१) (ए) विनियम ६ (२) के साथ पठित - कंपनी के लिए प्रारंभिक प्रकटीकरण

कंपनी का नाम: वेदांत लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: ८२०५०१०२५

प्रमोटर, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण जैसा कि विनियम ६(२) में उल्लिखित है

नाम, पैन नंबर, सी आई एन/ डी आई एन संपर्क के साथ और पता संख्या	व्यक्ति की श्रेणी (प्रवर्तक/ केएमपी/निदेशक/ तत्काल रिश्तेदारों/अन्य आदि।)	की तिथि को धारित प्रतिभूतियां नियमन लागू हो रहा है		% का शेयर धारिता
		सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	नहीं।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नोट: ठप्रतिभूतियों का अर्थ सेबी (अंदरूनी सूत्र का निषेध) के विनियम २(१) (ग) के तहत परिभाषित किया गया है। ट्रेडिंग विनियम, २०१५

प्रमोटर, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा धारित कंपनी के डेरिवेटिव में ओपन इंटेरेस्ट (ओआई) का विवरण(केएमपी), निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विनियम ६(२) में उल्लिखित हैं

फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटररेस्ट के अनुसार आयोजित किया गया विनियम लागू होने की तिथि			विकल्प अनुबंधों का खुला हित इस दिन आयोजित किया गया विनियम लागू होने की तिथि		
अनुबंध विशेष	विवरण की संख्या इकाइयाँ (अनुबंध .)★ बड़ा आकार)	काल्पनिक मूल्य में रुपया मामले	अनुबंध विशेष	विवरण संख्या का इकाइयों (अनुबंध ★ लॉट आकार)	काल्पनिक मूल्य में रुपया मामले
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

नोट: विकल्पों के मामले में, काल्पनिक मूल्य की गणना प्रीमियम प्लस विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

नाम और हस्ताक्षर:

पदः

दिनांक:

जगहः

फार्म बी

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५

डविनियम ७ (१) (बी) विनियम ६ (२) के साथ पठित - निदेशक/केएमपी/प्रवर्तक बनने पर प्रकटीकरण

कंपनी का नाम: वेदांत लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: ८८२०५०१०२५

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या बनने पर धारित प्रतिभूतियों का विवरण सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विनियम ६(२) में उल्लिखित हैं।

नाम, पैन नंबर, सीआईएन / डीआईएन और पता साथ संपर्क संख्या	व्यक्ति की श्रेणी (प्रवर्तक / केएमपी / निदेशक / तत्काल रिश्तेदारों/अन्य आदि।)	दिनांक का की नियुक्ति निदेशक /केएमपीया तारीख बनने प्रमोटर	के समय धारित प्रतिभूतियां बनने प्रमोटर/निदेशक/केएमपी की		% का शेयर धारिता
			सुरक्षा का प्रकार(उद-हरण के लिए - शेयर, - वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	नहीं।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नोट: ठप्रतिभूतियों का अर्थ सेबी (अंदरूनी सूत्र का निषेध) के विनियम २(१) (ग) के तहत परिभाषित किया गया है। ट्रेडिंग) विनियम, २०१५।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति पर आयोजित कंपनी के डेरिवेटिव में ओपन इंटररेस्ट (ओआई) का विवरण(केएमपी) या निदेशक या प्रमोटर और ऐसे अन्य व्यक्ति बनने पर जैसा कि विनियम ६(२) में वर्णित है

उस समय आयोजित फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटररेस्ट प्रमोटर बनने/ निदेशक की नियुक्ति/केएमपी			पर आयोजित विकल्प अनुबंधों का खुला हितके प्रमोटर/नियुक्ति बनने का समय निदेशक /केएमपी		
अनुबंध विशेष	विवरण की संख्या इकाइयाँ (अनुबंध .)★ बड़ा आकार)	काल्पनिक मूल्य में रुपया मामले	अनुबंध विशेष	विवरण संख्या का इकाइयों (अनुबंध ★ लॉट आकार)	काल्पनिक मूल्य में रुपया मामले
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

नोट: विकल्पों के मामले में, काल्पनिक मूल्य की गणना प्रीमियम प्लस विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

नाम और हस्ताक्षर:

पद:

दिनांक:

जगह:

प्रारंभिक प्रकटीकरण प्रपत्र

(शामिल होने के समय या पदोन्नत होने के समय वेदांत लिमिटेड में शोयरधारिता का प्रारंभिक प्रकटीकरण नियुक्त व्यक्ति)

1	नाम				
2	कड़ाही (पैन उपलब्ध न होने की स्थिति में, कोई अन्य) कानून द्वारा अधिकृत पहचानकर्ता)				
3	पद				
4	स्थान				
5	संपर्क नं.				
6	ईमेल आईडी				
7	स्नातक शैक्षणिक संस्थान				
8	पिछले रोजगार का विवरण (पिछले नियोक्ता का नाम/संगठन)				
9	घोषणा की तिथि				
10	कंपनी में धारित प्रतिभूतियों का विवरण				
a.	नामित व्यक्ति द्वारा आयोजित				
	प्रतिभूतियों की संख्या	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार,	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार, भौतिक रूप में:	यदि डीमैट रूप में धारित है डीपी आईडी ग्राहक आईडी	
b.	तत्काल रिश्तेदार / व्यक्ति द्वारा धारित जिसके साथ नामित व्यक्ति सामग्री वित्तीय साझा करता है संबंध				
	तत्काल संबंधी का नाम				
	संबंध				
	कड़ाही (पैन न होने की स्थिति में उपलब्ध, कोई अन्य पहचानकर्ता कानून द्वारा अधिकृत)				
	प्रतिभूतियों की संख्या	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार,	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार, भौतिक रूप में:	यदि डीमैट रूप में धारित है डीपी आईडी ग्राहक आईडी	

• तत्काल संबंधी में पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और उनके बच्चे या पति या पत्नी शामिल हैं, जिनमें से कोई भी एक हैउन पर वित्तीय रूप से निर्भर है, या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में उनसे परामर्श करता है।

• भौतिक वित्तीय संबंध का अर्थ एक ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्राप्तकर्ता होता है भुगतान जैसे कि ऋण या उपहार के माध्यम से तत्काल पूर्ववर्ती १२ महीनों के दौरान, कम से कम के बराबर ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय का २५% लेकिन उस संबंध को शामिल नहीं करेगा जिसमें भुगतान हाथ की लंबाई पर आधारित है लेन - देन

.....
हस्ताक्षर

फॉर्म सी
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५
डविनियम ७ (२) विनियम ६ (२) के साथ पठित - निरंतर प्रकटीकरण

कंपनी का नाम: वेदांत लिमिटेड
कंपनी का आईएसआईएन: २०५०१०२५

एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर, कर्मचारी या निदेशक और अन्य ऐसे व्यक्तियों की प्रतिभूतियों में परिवर्तन का विवरण जैसा कि विनियम ६(२) में उल्लिखित है।

नाम, पैन नहीं, सीआईएन/डीआईएन पता संपर्क के साथ संख्या	की श्रेणीव्यक्ति (प्रवर्तक / केएमपी / निदेशक / आईएमडीएट रिश्तेदारों / अन्य आदि)	प्रतिभूतियां धारित अधिग्रहण से पहले/निपटान		प्रतिभूतियों का अधिग्रहण/निपटान				सिक्योरिटीज होल्ड पोस्ट अधिग्रहण / निपटान		की तारीख आवंटनसलाह / का अधिग्रहण शेयर / शेयरों की बिक्री उल्लिखित करना		दिनांक का सूचना प्रति कंपनी	की तारीख आवंटनसलाह / का अधिग्रहण शेयर / शेयरों की बिक्री उल्लिखित करना
		के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, कन्वर्टिबल डिबेंचर तों आदि)	न. और % का शेयर धारिता इंग	के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, कन्वर्टिबल इक्विटी पत्र आदि)	न.	मूल्य लेनदेन	आयन प्रकार (खरीदना / बिक्री/ प्रति % II / वापस लेना / आह्वान)	के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंटएस, कन्वर्टिबल डिबेंचर आदि)	न. और % का शेयर हो तु	से	प्रति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

नोट: ठप्रतिभूतियों का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के विनियम २(१) (ग) के तहत परिभाषित किया गया है।

किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर, कर्मचारी या निदेशक और अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में व्यापार का विवरण जैसा कि में उल्लिखित है विनियम ६ (२)

		डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (अनुबंध का प्रकार, वायदा या विकल्प निर्दिष्ट करें आदि।)				एक्सचेंज जिस पर व्यापार किया गया था
प्रकार का अनुबंध	अनुबंध विशेष विवरण	खरीदना		बेचना		
		सांकेतिक मूल्य	सांकेतिक मूल्य इकाइयों की संख्या (अनुबंध ★ लॉटआकार)	काल्पनिक मूल्य	की संख्या इकाइयों (अनुबंध ★ लॉटआकार)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

नाम और हस्ताक्षर:

पद:

दिनांक:

जगह:

वार्षिक प्रकटीकरण का रूप
(द्वि ३० प्रस्तुत की जानी करने के लिए वें पिछले वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के अप्रैल)

1	नाम				
2	कड़ाही (पैन उपलब्ध न होने की स्थिति में, कोई अन्य) कानून द्वारा अधिकृत पहचानकर्ता)				
3	पद				
4	स्थान				
5	संपर्क नं.				
6	ईमेल आईडी				
7	स्नातक शैक्षणिक संस्थान				
8	पिछले रोजगार का विवरण (पिछले नियोक्ता का नाम/संगठन)				
9	घोषणा की तिथि				
10	कंपनी में धारित प्रतिभूतियों का विवरण				
a.	नामित व्यक्ति द्वारा आयोजित				
	प्रतिभूतियों की संख्या	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार,	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार, भौतिक रूप में:	यदि डीमैट रूप में धारित है डीपी आईडी ग्राहक आईडी	
b.	तत्काल रिश्तेदार / व्यक्ति द्वारा धारित जिसके साथ नामित व्यक्ति सामग्री वित्तीय साक्षा करता है संबंध				
	तत्काल संबंधी का नाम				
	संबंध				
	कड़ाही (पैन न होने की स्थिति में उपलब्ध, कोई अन्य पहचानकर्ता कानून द्वारा अधिकृत)				
	प्रतिभूतियों की संख्या	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार,	सुरक्षा फोलियो संख्या का प्रकार, भौतिक रूप में:	यदि डीमैट रूप में धारित है डीपी आईडी ग्राहक आईडी	

टिप्पणियाँ:

- तत्काल संबंधी में पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और उनके बच्चे या पति या पत्नी शामिल हैं, जिनमें से कोई भी आश्रित हैउन पर वित्तीय रूप से, या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में उनसे परामर्श करता है।
- भौतिक वित्तीय संबंध का अर्थ ऐसे संबंध से है जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है जैसे कि तत्काल पूर्ववर्ती १२ महीनों के दौरान ऋण या उपहार का तरीका, ऐसे भुगतान कर्ता के वार्षिक के कम से कम २५% के बराबर आय लेकिन उस संबंध को बाहर कर देगा जिसमें भुगतान हाथ की लंबाई के लेनदेन पर आधारित है

.....
हस्ताक्षर

फॉर्म डी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५
विनियम ७(३) - कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य जुड़े व्यक्तियों द्वारा लेनदेन

कंपनी का नाम: वेदांत लिमिटेड

कंपनी का आईएसआईएन: मैं २०५०१०२५

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार का विवरण।

नाम, पैन नहीं, सीआईएन/डीआईएन पता संपर्क के साथ संख्या	संबंध साथ ए कंपनी	प्रतिभूतियां धारित अधिग्रहण से पहले/निपटान		प्रतिभूतियों का अधिग्रहण/निपटान				सिक्क्योरिटीज होल्ड पोस्ट अधिग्रहण /निपटान		की तारीख आवंटनसलाह /का अधिग्रहण शेयर /शेयरों की बिक्री उल्लिखित करना		दिनांक का सूचना प्रति ए कंपनी		की तारीख आवंटनसलाह / का अधिग्रहणशेयर / शेयरों की बिक्री उल्लिखित करना	
		के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, कन्वर्टिबल डिबेंचर तों आदि)	न. और %का शेयर धारिता इंग	के प्रकारसुरक्षा (उदाहरण के लिए -शेयर, वारंट, कन्वर्टिबल इक्विटी पत्र आदि)	नं.	मूल्य लेनदेन	आयन प्रकार (खरीदना / बिक्री/ प्रति % II /वापस लेना / आह्वान)	के प्रकार सुरक्षा (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंटएस, कन्वर्टिबल डिबेंचर आदि)	नं. और % का शेयर हो	से	प्रति				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		

नोट: ठप्रतिभूतियों का अर्थ सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के विनियम २(१) (ग) के तहत परिभाषित किया गया है।

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य कनेक्टेड व्यक्ति द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में व्यापार का विवरण

		डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (अनुबंध का प्रकार, वायदा या विकल्प निर्दिष्ट करें आदि।)				एक्सचेंज जिस पर व्यापार किया गया था
प्रकार का अनुबंध	अनुबंध विशेष विवरण	खरीदना		बेचना		
		सांकेतिक मूल्य	सांकेतिक मूल्य इकाइयों की संख्या (अनुबंध ★ लॉटआकार)	काल्पनिक मूल्य	की संख्या इकाइयों (अनुबंध ★ लॉटआकार)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

नाम और हस्ताक्षर:

पद:

दिनांक:

जगह:

वार्षिक व्यापार योजना के लिए आवेदन

प्रति,

दिनांक: _____

अनुपालन अधिकारी
वेदांत लिमिटेड

१. आवेदक का नाम: _____ पैन _____
२. आज तक कंपनी में धारित प्रतिभूतियों की संख्या: _____
३. मांगी गई स्वीकृति: ☐ स्वयं ☐ तत्काल रिश्तेदार (आईआर)
४. ट्रेडिंग प्लान _____ महीने की अवधि के लिए है अर्थात से शुरू होने वाली अवधि के लिए _____ और _____ को समाप्त होता है
५. प्रस्तावित व्यापार का विवरण:

क्रमांक	लेन-देन की प्रकृति(बिक्री/खरीद)	दिनांक का लेनदेन / अवधि / अंतराल लेन - देन	व्यापार का मूल्य/प्रतिभूतियों की संख्या निष्पादित	शर्तें/टिप्पणियां

उपक्रम:

ए) मैं योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीने से पहले व्यापार शुरू नहीं करूंगा।

बी) मेरे पास समान अवधि के लिए अतिव्यापी व्यापार योजना नहीं है।

सी) इस घटना में कि मेरे पास ठाप्रकाशित मूल्य संवेदनशील के रूप में मानी जाने वाली किसी भी जानकारी का अधिकार / %ान हैसूचनाठ जैसा कि नीति में परिभाषित किया गया है, इस योजना के निर्माण और अनुमोदन के समय लेकिन जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है उक्त योजना में अनुमोदित समय सारिणी के अनुसार व्यापार करते समय, मैं अनुपालन अधिकारी को सूचित करूंगा जब तक ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से पूरी तरह से बचना चाहिए;

ई) मैंने मामले में पूर्ण और सही खुलासा किया है।

च) मैं एक बार स्वीकृत होने के बाद इस व्यापार योजना का पालन करने का वचन देता हूं और ऐसी घोषणाएं/खुलासा प्रस्तुत करूंगा जो हो सकते हैं अनुपालन अधिकारी द्वारा इस योजना की निगरानी के लिए आवश्यक समझा गया।

छ) मैं इस व्यापार योजना का उपयोग बाजार के दुरुपयोग के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं करूंगा

हस्ताक्षर :

दिनांक:

अनुपालन अधिकारी के उपयोग के लिए:

आवेदन दिनांक	स्वीकृति तिथि	स्वीकृति संख्या	अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर

_____ से शुरू होकर _____ तक _____ महीने की अवधि के लिए ट्रेडिंग योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचना _____ अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर : _____

संबद्ध

संहिता के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति (एक व्यक्ति या एक कानूनी व्यक्ति होने के नाते, जैसे कि एक कंपनी) ठसंबद्ध है अंदरूनी सूत्र के साथ अगर, लेकिन केवल अगर, वह (स्वयं ऐसा नामित कर्मचारी नहीं है) है:

१. किसी अंदरूनी सूत्र का तत्काल संबंधी या;
२. सिवाय जहां संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित हो, एक निगमित निकाय जिसमें नामित कर्मचारी साथ में हो किसी अन्य एसोसिएटेड व्यक्ति के साथ कम से कम १० प्रतिशत हिस्सेदारी। इक्विटी शेयर पूंजी के या के हकदार हैं व्यायाम करें या १० प्रतिशत व्यायाम को नियंत्रित करें। या अधिक मतदान अधिकार या व्यवहार में जहां उसका या उसके निर्देशों या निर्देशों का सामान्य रूप से पालन किया जाता है या;
३. एक कॉर्पोरेट निकाय जिसमें अंदरूनी सूत्र या कोई अन्य व्यक्ति जो अन्यथा जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक निदेशक या एक वरिष्ठ कार्यकारी जो भविष्य के विकास को प्रभावित करने वाले प्रबंधन निर्णय लेने की शक्ति रखता है और उस निकाय कॉर्पोरेट की व्यावसायिक संभावनाएं या;
४. किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करने वाला व्यक्ति जिसके लाभार्थियों में शामिल हैं:
 - अंदरूनी सूत्र, उसके पति/पत्नी और निदेशक/कर्मचारी/सलाहकार; या
 - एक निगमित निकाय जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है या किसी ऐसे ट्रस्ट का है जिसकी शर्तें इस पर अधिकार प्रदान करती हैं ट्रस्टी जिनका प्रयोग अंदरूनी सूत्र, उनके पति या पत्नी, बच्चों या ऐसे किसी भी निकाय के लाभ के लिए किया जा सकता है कॉर्पोरेट या
५. एक व्यक्ति उस अंदरूनी सूत्र के भागीदार के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है;
६. किसी व्यक्ति के भागीदार के रूप में अपनी हैसियत से कार्य करने वाला व्यक्ति जो:-
 - उस अंदरूनी सूत्र का जीवनसाथी;
 - उस अंदरूनी सूत्र का बच्चा;
 - एक निगमित निकाय जिसके साथ वह अंदरूनी सूत्र संबद्ध है; या
 - ऊपर पैरा ४ में निर्दिष्ट प्रकार के किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करने वाला व्यक्ति।

सेबी को यूपीएस आई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव की रिपोर्ट करने का प्रारूप

प्रति,
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
प्लॉट नंबर सी ४-ए, जी ब्लॉक,
बैंक ऑफ इंडिया के पास, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा पूर्व, मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र

संदर्भ: स्क्रिप कोड बीएसई - ५००२९५
एनएसई - ३३३

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय: सेबी के विनियम ९ए (५) के अनुसार यूपीएसआई के वास्तविक या संदिग्ध रिसाव की रिपोर्ट (अंदरूनी सूत्र का निषेध) ट्रेडिंग) विनियमन, २०१५।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के विनियम ९ए (५) के अनुसार, हम वास्तविक या कंपनी की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) का संदिग्ध रिसाव, निम्नानुसार है;

अपराधी का नाम, यदि लागू हो।	
संगठन का नाम।	
पद (कर्मचारी, अंदरूनी सूत्र, नामित व्यक्ति या कोई अन्य)	
सूचना की प्रकृति	
क्या कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई शुरू की गई है। यदि हाँ, तो उसी का वर्णन अन्य कोई सूचना।	हाँ नहीं

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को अपने रिकॉर्ड में लें।

आपको धन्यवाद,

आपका विश्वासी,
वेदांत लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी